



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट - <http://www.mpselaa.nic.in>
दूरध्वाय न. - 0755-2466970, 2466259
फैक्स न. - 0755-2462136

No: 2347/SEIAA/2022

Date: 14/12/22

प्रति,

कलेक्टर

जिला - गुना (म.प्र.)

दिष्य: नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट - गुना (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एंव मुरुम)

संदर्भ: आपका पत्र क्र. 1200 / खनिज / 2022 दिनांक 16.11.2022


राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 760 वैठक दिनांक 07.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 607वीं वैठक दिनांक 21/11/2022 में गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - ऐत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला-गुना के पत्र क्र. 1200 दिनांक 16/11/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लैज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि गुना जिले की दोनों जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एंव मुरुम) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एंव विचार विमर्श उपरांत SEAC की 607वीं वैठक दिनांक 21.11.2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एंव मुरुम) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, गुना को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एंव संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

इपर्यंत निर्णयानुसार कृपया अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें। मुक्तम संदर्भ हेतु अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की सापटकॉपी ई-मेल के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : - / SEIAA / 2022 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संचालक, प्रशासन/तकनीकी, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), अनुसंधान एंव विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) - 462016 की ओर सूचनार्थ।

/
सदस्य सचिव



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 760वीं बैठक दिनांक 07.12.2022
का कार्यवाही विवरण

फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें। तदानुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

12. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, गुना (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एंव मुरुम)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 607वीं बैठक दिनांक 21/11/2022 में दमोह जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

"..... खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला-गुना के पत्र क्र. 1200 दिनांक 16/11/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि गुना जिले की दोनों जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एंव मुरुम) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।"

राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एंव विचार विमर्श उपरांत SEAC की 607वीं बैठक दिनांक 21.11.2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एंव मुरुम) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।


तदानुसार जिला कलेक्टर, गुना को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एंव संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

607वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 21 नवम्बर 2022

जिसमें कहरिंग लेटर व हार्ड कापी प्रस्तुत नहीं की गई हैं और न ही कोई सक्षम अधिकारी प्रस्तुत हुए। समिति ने प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं पाया कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी नहीं दी गई है, जो निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप नहीं है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि संबंधित खनिज अधिकारी उपरोक्त जानकारी का समावेश कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः अनुमोदन हेतु कहरिंग लेटर व हार्ड के साथ प्रस्तुत करें।

ब. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, गुना (अन्य गौण खनिज – गिट्टी एंव मुर्लम)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना म.प्र. ने पत्र 1200 दिनांक 16/11/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज –गिट्टी एंव मुर्लम) की तैयार की है। प्रभारी खनिज अधिकारी ने संदर्भित पत्र में प्रस्तुत किया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले पोर्टल पर 30 दिवस की समयावधि हेतु अपलोड किया गया था तथा 21 दिन के भीतर कोई सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है। इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 26/07/2022 को किया गया।

आज दिनांक 21/11/22 को गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी उपस्थित नहीं हुए।

Mineral	Other Minor Minerals (Stone & Murrum)
Earlier DSR Discussed	New DSR
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Guna No. 1200 dated 16.11.2022
SEAC meeting dated 21/11/22	<p style="text-align: center;"><u>अन्य गौण खनिज –गिट्टी</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर –08 (पेज न0. 24–40) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे गई है। ● जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी चैप्टर –08 (पेज न0. 24–40) में दी गई है <p style="text-align: center;"><u>अन्य गौण खनिज –मुर्लम</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर –08 (पेज न0. 24–27) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे गई है। ● जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी चैप्टर –08 (पेज न0. 24–27) में दी गई है

607वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21 नवम्बर 2022

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला—गुना के पत्र क्र. 1200 दिनांक 16/11/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि गुना जिले की दोनों जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – गिट्टी एंव मुरुम) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष



Final

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

जिला- गुना (2021-22)
(रेत खनिज को छोड़कर)(संशोधित)
खनिज- मुर्म



As Per Notification No. S.O. 141(E), 15th January, 2016, S611(E), 25th July 2018, New Delhi, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF & CC), Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020

प्रस्तुतकर्ता
श्रीमती पूजा वानखेडे
खनि निरीक्षक
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला- गुना (म.प्र.)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)
E.S. Area Parivar Parivar
Cantonment, Bhopal (M.P.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना (म.प्र.)
क्रमांक/3-6/खनिज/2022/1200 गुना, दिनांक 16/03/2022

प्रति,

सदरस्य सचिव,
 SEAC (सैक), म.प्र. प्रदूषण विवरण बोर्ड,
 पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेश काठोनी,
 भोपाल (म.प्र.)

विषय :- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) रेत के अतिरिक्त गिरावटी एवं मुरम खनिज के संबंध में।

रांदर्भ :- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.2022

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के दिये गये विवरों के आधार पर कार्यालयीन आदेश क्र. /3-6/खनिज/2022/373 गुना, दिनांक 24.03.2022 द्वारा सरलीकृत रूप से इनकार्ड किया गया है। इनकार्ड के अनुसार गुना जिले में विद्युत खनिजों हेतु प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु उपसंग्रह स्थानीय समिति (एवं डिविजनल कंगोटी) का गठन किया गया है। यहां स्थानीय समिति द्वारा अधिकृत प्रारूप, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जनरागाव्य के सुझाव हेतु गुना जिले के NCC पोर्टल पर 21 दिवस के लिए, दिनांक 29.07.2022 को वेबसाईट पर अपलोड कराया गया था। इस दूर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये थे। उसके उपरांत रेत के अधिकारी अन्य गैंग खनिज नुस्खा एवं गिरावटी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सैक (SEAC) वीर रिप्पणी के उपरांत पुनः संशोधन कर सैक (SEAC) में प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अन्य गैंग खनिज गिरावटी एवं मुरम की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः अधिक वार्षिकी लेकर सौफ्ट कॉर्पी (पी.डी.एफ.) में पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर साझा प्रेषित है।

संलग्न :- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-

अन्य गैंग खनिज गिरावटी एवं मुरम की सौफ्ट कॉर्पी (पी.डी.एफ.)

पु.क्रमांक/3-6/खनिज/2022/1200
 प्रतिलिपि :-

- सदरस्य सचिव, सिया सचिवालय पर्यावरण भवन, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- रांचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए खनिज भवन अरेश हिल भोपाल की ओर पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.2022 के तारतम्य में साहार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी खनिज अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-गुना (म.प्र.)
 गुना, दिनांक 16/03/2022

प्रभारी खनिज अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला-गुना (म.प्र.)



राज्य रक्षण पर्यावरण समन्वय नियंत्रण प्रशिकरण, म.प्र.

(प्रधानमंत्री का द्वारा अनुमति ग्रहित करने वाली भारत राज्य)

पर्यावरण नियंत्रण पर्यावरण संगठन
पर्यावरण परिषद, कै-५, अरेश होलीगढ़ी
भोपाल-४६२०१० (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpaiaa.nic.in>
फोन नं. - ०७५५-२४६०९७०, २४६०८६९
फैक्टरी नं. - ०७५५-२४६२१३०

No. /620 /SEIAA/2021
Date: **11-8-2021**

संचालक
नीतिकी तथा लानकर्म
म.प्र. अनिज भवन,
अरेश हिल्स, ऐल सेक्टर, गोपाल (म.प्र.)

विषय: नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (OSR) तैयार करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयालार्पत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भंडालय भारत राज्यां द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 एवं 25.07.2016 के अनुसार प्रत्येक जिला रक्षण पर्यावरण नियंत्रण रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसे अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक 05 अर्थ अदान (Update) किया जाना है।

उक्त संबंध में प्रत्येक जिले के खानिक अधिकारी ने निर्देशित किया जाये कि MP SEIAA में प्रस्तुत किये जाने वाले पूर्व पर्यावरण रीकूर्टि को जिलेगार खानन प्रकरणों के आवेदनों के साथ परिवेजना प्रस्तावक द्वारा संसम्बन्धित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनिवार्यतः सम्भिलित करें।

साथ ही संबंधित जिले के खनिज अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावकों को यह भी प्रमाण-पत्र प्रदान करें कि वर्ष 2016-17 के उपरान्त स्थीकृत खदानों को नवीन प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनिवार्यतः सम्भिलित किया जायेगा। इनको उपरान्त ही SEIAA द्वारा पर्यावरणीय रीकूर्टि हेतु प्राप्त आवेदन मान्य किए जायेंगे।


(श्रीमन् शुभला)
सदस्य सचिव

पृष्ठ. 1621 /SEIAA/2021

दिनांक - 11.8.2021

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, भंडालय, गोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. अनिज विकास निगम, पर्यावास भवन, अरेश हिल्स, गोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।


राज्य सचिव
-Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPAO)
Paryavaran Parishar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

106

कार्यालय

संचालक भौगोलिकी तथा अविकर्मी

मध्यप्रदेश

29-प, "सरविज भवन", अरेसा हिंदा, भोपाल


फोन एवं फैक्स : 0756-2551793

E-mail : dirgoomm@mpnic.m

मुख्यमन्त्री कार्यालय (भा.प्र.)

ठागांक 2981 त्रिविज/विविध/ल.क्र प्रति,

समस्त कलेक्टर
(खंडि शाखा)
मध्यप्रदेश



विषय : रास्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गाइडलाईन 2016 से इनफोर्मेंट गाइटिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के अंतर्गत रेत अविज हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध में।

प्रत्येक जिले में रास्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इनफोर्मेंट माइटिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 गाइडलाईन के तहत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार की जाती है। जिले की डीएसआर तैयार किये जाते की प्रक्रिया प्रचलन में है। माननीय सर्वोच्च व्यायालय द्वारा रियिल अपील क्रमांक 3661-3662/2020 (विहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध परन्तु कुमार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुसार एवं रास्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इनफोर्मेंट माइटिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के पालन में प्रारूप डीएसआर निम्न समिति द्वारा तैयार की जाती है :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजरख)
2. जल संराधन विभाग के अधिकारी
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नामांकित अधिकारी
4. यन विभाग के अधिकारी
5. जिले के खनि अधिकारी/संचालनालय भौगोलिकी तथा अविकर्मी द्वारा पदस्थ अधिकारी

MP/

7/3/22

अंगेष्ठित की जायेगी। रिएक (SEAC) द्वारा इसे सिया (SEIAA) को प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)

भा.प्र.से.

संचालक

(प्रशासन एवं अविकर्मी)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPAO)
Parivaran Parishar
C-6, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

MC2
putubodh
10/3/22
10/3/22
23/3/22

पृ.क्रमांक 2982-86

/खनिज/विविध/न.क्र.

/2022

भोपाल, दिनांक 03/3/22

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज राधन विभाग की ओर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन, घन विभाग, पर्यावरण विभाग की ओर
3. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी भोपाल।
4. खनि अधिकारी जिला मध्यप्रदेश की ओर संचालनालय द्वारा ढीएसआर तैयार किये जाने हेतु नियुक्त एजेंसी द्वारा यदि प्रारूप ढीएसआर तैयार किया जा चुका है तब इस प्रारूप ढीएसआर का परीक्षण उपरोक्तानुसार गठित समिति से कराया जाये। रामिति द्वारा इस प्रकार तैयार प्रारूप का अनुमोदन कर जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा।
5. प्रभारी अधिकारी, भौमिकी शाखा, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर पालनार्थ।

संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

Singh
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EIA)
Parivahan Parivar
F-6, Avra Colony, Bhopal (M.P.)

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट समिति गुना

माननीय सरोच्च न्यायालय द्वारा रिविल अपील क्रमांक
 3661-3661/2020 खिलाफ राज्य एवं अन्य विलम्ब पवन कुमार एवं आव्य) के पारित
 आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुसार एवं रस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मैनेजमेंट
 गार्डलाइन 2016 एवं हनफोर्मेट मानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के पालन में
 संघालक महोदय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/
 2981/2982-86 भोपाल दिनांक 03.03.2022 तथा कलेक्टर महोदय जिला गुना के
 आदेश क्र. 689-690 गुना, दिनांक 17.06.2022 के पालन में प्रारूप जिला सर्वेक्षण
 रिपोर्ट (District Survey Report) निम्न समिति द्वारा तैयार कर अनुमोदित की गई है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री एस.के. जैन	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग जिला गुना (म.प्र.)	(एस. के. जैन) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग गुना (म.प्र.)
2	श्री यीरेन्द्र सिंह बघेल	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व-गुना, जिला गुना (म.प्र.)	✓
3	श्री आर.सी. छामोर	उप यन मण्डल अधिकारी, जिला गुना (म.प्र.)	✓ मण्डल अधिकारी (म.प्र.) गुना (म.प्र.)
4	श्री सुधान्षु तिवारी	जिला पर्यावरण अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना (म.प्र.)	श्री पर्यावरण अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोल विजयपुर, जिला गुना (म.प्र.) पर्यावरण बोर्ड गुना (म.प्र.)
5	श्री आर.के. पाण्डेय	खनि अधिकारी जिला-गुना (म.प्र.)	✓ खनि अधिकारी जिला-गुना (म.प्र.)
6	श्री दीपक सरकोना	खनि निरीक्षक गुना	✓ खनि निरीक्षक गुना
7	श्रीमती पूजा वानखेडे	खनि निरीक्षक गुना (प्रस्तुतकर्ता)	✓ खनि निरीक्षक गुना (प्रस्तुतकर्ता) जिला-गुना (म.प्र.)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.

(ESEA)
Paryavaran Parish
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2827।

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 3, 1940

No. 2827।

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/SHRAVANA 3, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.आ. 3611(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में (जिसमें इसके पश्चात् उत्तर अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा पूर्व पर्यावरण निकायी के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उत्तर अधिसूचना को का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित किया है, जिसमें गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को विहित किया गया है;

और रांची स्थित माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने 2015 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1806, स्वप्रेरणा वनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (पीआईएल) सं. 2013 की 290, हेमंत कुमार शिल्कारवर वनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में, अन्य वातों के साथ, तारीख 11 अप्रैल, 2018 और 19 जून, 2018 के आदेश में बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने या बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए राज्य सरकार और/या जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण और जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को निर्देश दिया है;

और केंद्रीय सरकार लोक हित में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करती है;

और केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

अनुक्रमाणिका

(Table of Contents)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
0 1 .	प्रस्तावना (Introduction)	1
0 2 .	जिला गुना में खनन कार्यकलापो का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Guna)	7
0 3 .	गुना जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Guna District)	8
0 4 .	जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)	9
0 5 .	जिले में भू-उपयोग आवरण का रूपरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)	12
0 6 .	जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface water & Ground water Scenario in the District)	18
0 7 .	जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Detail of Rainfall and Climate Condition of the District)	23
0 8 .	प्रदत्त प्रारूप अनुसार जिले में खनन पट्टो का व्यौरा (Detail of the Mining leases in the District as per the Following Format)	24
0 9 .	विगत तीन वर्षो के राजस्व का व्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)	28
1 0 .	विगत तीन वर्षो के उत्पादन का व्यौरा (Production Details of Last Three Years)	28
1 1 .	जिला गुना का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Guna)	29

State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (R.P.C.)
 Date : 2023-01-30
 Page No. 1 / 1

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
12.	जिले में उपलब्ध कुल खनिज भण्डार (Total Mineral Reserve Available in the District)	30
13.	जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड (Quality/Grade of Mineral Available in the District)	30
14.	जिले में उपलब्ध खनिजों का उपयोग (Uses of Available Minerals in the District)	30
15.	जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान खनिज की मांग एवं पूर्ति (Demand & Supply of Minerals in the District During the Last Three Years)	30
16.	जिले के मानचित्र पर चिन्हांकित खनिज पट्टे (Mining Leases Marked on the Map of District)	31
17.	जिले में गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों का व्यौरा (Details of Minor Mineral Proposed Mines in the District)	32
18.	गुना जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृति शीर्ष एवं ढलान का रूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the District Guna)	35
19.	पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शोर, मिछी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)	39
20.	पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)	40
21.	खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)	41

State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (SLEIA)

Parivahan Parivar
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
22.	जिले में स्वीकृत उत्थनिपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)	42
23.	जिले में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)	48
24.	जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Management)	49

List of Maps

Nos.	Maps
1.	<i>Location Map</i>
2.	<i>Toposheet Map</i>
3.	<i>Satellite Map</i>
4.	<i>Base Map</i>
5.	<i>Geological & Mineral Map of Madhya Pradesh</i>
6.	<i>Tehsil Map</i>
7.	<i>Geological Map</i>
8.	<i>Land Use/Land Cover Pattern Map</i>
9.	<i>Forest Map</i>
10.	<i>Soil Map of Madhya Pradesh</i>
11.	<i>Soil Map</i>
12.	<i>Seismic Zone Map</i>
13.	<i>Drainage Map</i>
14.	<i>Water Resources Map</i>
15.	<i>Ground Water Potential Zone Map</i>
16.	<i>Watershed Map</i>
17.	<i>Basin Map</i>
18.	<i>District Resource Map</i>
19.	<i>Existing Crushers Quarry Lease Map</i>
20.	<i>Geomorphological Map</i>
21.	<i>Physiographical Map</i>
22.	<i>Digital Elevation Model (DEM)</i>
23.	<i>Slope Map</i>



State Election Commission
Assessment Authority, M.P.
Bhopal, M.P.
E.S. Area: Bhopal, Purisar, Shova, M.P.



01 - प्रस्तावना (Introduction)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2018 को जारी अधिसूचना अनुसार गौण खनिज रेत एवं अन्य गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पृथक-पृथक तैयार किये जाने के प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं, जिसके अनुक्रम में शासन स्तर से प्राप्त अद्यतन निर्देश अनुसार जिला गुना की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तावना उपबिन्दु से शुरू होकर प्रस्तावित प्रारूप अनुसार अग्रांकित रूप से तैयार की है। यह एक मार्गदर्शी दस्तावेज है, जिससे जिले की खनिज संपदाओं की उपलब्धता एवं उनकी अविथिति संबंधित सूचनाओं का संकलन है।

खनिज की उपलब्धता एवं आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन प्लान में चाहे गये खनिज के दोहन हेतु अपनी यह अनुशंसा जारी कर सकेगी कि प्रस्तुत अविथिति पर खनिज की उपलब्धता है एवं जारी की जाने वाली सम्मति हेतु उपर्युक्त परिविथियां खनन रथल पर हैं, साथ ही पर्यावरण से संबंधित यह आंकलन भी इस आधार पर संभव हो सकेगा कि पट्टाधारी को पर्यावरण सम्मति प्रदान की जावे अथवा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन में कुछ आवश्यक सुधार पश्चात सम्मति प्रदाय हेतु अनुमोदन किया जावे।

मध्यप्रदेश राज्य में जिला गुना की स्थिति


LOCATION MAP OF DISTRICT GUNA



गुना, प्राचीन अवंती साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी स्थापना प्रद्योत राजवंश के 'चण्ड प्रद्योत महासेना' ने की थी, बाद में शिशु संघ ने अवंत के राज्य को जोड़ा, जिसमें


गुना को मगध के बढ़ते साम्राज्य में शामिल किया गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, गुना को मराठा राजा श्री रामोजी राव सिंधिया ने जीत लिया और गुना, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद तक खालियर राज्य का हिस्सा बना रहा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 28 मई 1948 को गुना मध्यप्रांत राज्य का हिस्सा बना, 01 नवंबर 1956 को मध्यप्रदेश की स्थापना होने पर गुना जिला मध्यप्रदेश में शामिल हो गया। गुना जिले को मालवा व चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुना जिले का वर्तमान प्रशासनिक मुख्यालय गुना, जिला मुख्यालय है। गुना शहर 05 नवंबर 1922 में स्थापित हुआ था। 19वीं सदी के पूर्व गुना, ईसागढ़ (अब जिला अशोकनगर में स्थित) जिले का एक छोटा सा गाँव था।

जिला गुना- अध्ययन क्षेत्र




जिला गुना भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट संख्या 54 C/16, D/13, D/14, D/15, D/16, G/4, G/8, H/1, H/2, H/3, H/4, H/5, H/6, H/7, H/8, H/9, H/10 एवं H/11 तथा 55 E/1 एवं E/5 के अंतर्गत विद्यमान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई 474 मीटर (1555 फीट) है। जिला गुना 23°50'00"N - 25°10'00"N व 76°50'00"E - 77°40'00"E, अक्षांतरों देशांतरों के मध्य स्थित है।

जिला गुना का उपग्रह चित्रण



Satellite Images, अंतरिक्ष से मानव निर्मित उपग्रहों द्वारा बिना किसी Physical Object के उपयोग द्वारा पृथ्वी के वास्तविक चित्रण को दर्शाती है, उक्त उपग्रह चित्रण जिला गुना को दर्शा रहा है।



जिला गुना मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है तथा इसका क्षेत्रफल 6,390 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है तथा जिले में कुल 07 तहसीले हैं जो कि- गुना, आरोन, राघोगढ़, मधुसूदनगढ़, बमोरी,

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPA)

Parvavaran Parivar
C. S. Akera - 1000, Bhopal (M.P.)

चांचौडा एवं कुंभराज तथा 05 ब्लॉक क्षेत्र जो कि- गुना, बमोरी, राघौगढ़, आरोन तथा चांचौडा है। यह जिला पूर्व दिशा में अशोकनगर, उत्तर में शिवपुरी व दक्षिण में राजगढ़, भोपाल, विदिशा और सागर, पश्चिम व उत्तर-पश्चिम में राजस्थान के कोटा, उत्तर-पश्चिम में राजस्थान के झालावाड एवं बॉरा जिले से परिसीमित है। 15 अगस्त 2003 को गुना जिले को दो भागों में विभाजित किया गया, जिस से पूर्वी भाग अशोकनगर जिला बन गया।

गुना जिले में 04 विधानसभा क्षेत्र- गुना, बमोरी, चांचौडा और राघौगढ़ स्थित है। गुना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्यप्रदेश के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। गुना जिले में स्थित राघौगढ़ एवं चांचौडा क्षेत्र राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में समावेशित है तथा वर्तमान में, गुना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गुना, बमोरी, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, शिवपुरी, पिछोर तथा कोलारस, गुना लोकसभा क्षेत्र में समावेशित है।

गुना जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-03 जिले के पश्चिमी भाग से गुजरता है। पश्चिम रेल्वे, बीना-कोटा तथा मकरी-रुठियाई खंड लाईन जिले के मध्य तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है। जिला गुना सभी प्रमुख स्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पक्के मार्गों से जुड़ा हुआ है।

जिला गुना ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुना जिले में प्रसिद्ध ‘बजरंगगढ़ का किला’ अवस्थित है, जिसका निर्माण सन् 1775 में मराठा शासकों द्वारा करवाया गया था तथा इस किले के अंदर तोपखाना, रंग महल, मोती महल, श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण मंदिर व हनुमान जी का मंदिर स्थित है। इसी प्रकार बजरंगगढ़ क्षेत्र में संगमरमर और शीशों से बने 700 वर्ष पुराने जैन सम्प्रदाय के तीर्थकर्ता भगवान श्री शांतिनाथ, श्री कुंथनाथ एवं श्री अर्हरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं। गुना जिले में प्रसिद्ध ‘राघौगढ़ का किला’ स्थित है, इस किले का निर्माण सन् 1673 में संभवतः चौहान खींची वंश के राजा ने करवाया था। गुना जिले में बीस भुजा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, इस मंदिर में दुर्गा माता की 20 हाथों वाली हथियार धारण किए हुए प्रतिमा स्थापित है, इसके बारे में पौराणिक किवंदती है कि माता के 20 हाथों के, जिस व्यक्ति को दर्शन होते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार जिले में अन्य धार्मिक स्थल जैसे- पंचमुखी हनुमान आश्रम, हनुमान टेकरी, हनुमान मंदिर कैट, राम जानकी मंदिर, खैरोदा मंदिर एवं


कंकाली मंदिर बमौरी, क्राइस्ट द किंग चर्च, निहाल देवी माता मन्दिर सिरसी-महु रोड, अजित खो आश्रम, टुका श्री हनुमान मंदिर राघौगढ़, प्राचीन गादेर गुफा, चार धाम मंदिर जामनेर आदि प्रसिद्ध स्थल हैं।

गुना जिले में मध्यप्रदेश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केन्द्र स्थित है तथा जिले के भामावड़ गाँव में 'तेजाजी के मेले' का आयोजन किया जाता है, यह मेला तेजाजी की जंयती पर भाद्रपद शुक्ल दशमी पर आयोजित होता है, ऐसी मान्यता है कि तेजाजी के पास एक ऐसी शक्ति थी जो सॉप के काटने पर उसके जहर को खत्म कर देती है। गुना के विजयपुर से हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन यहीं से होकर गुजरती है। हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर भारत की पहली रस्टेट गैस पाइपलाइन है। गुना के विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा संचालित चार इकाईयों में से एक यहाँ पर खाद की फैक्ट्री है। गुना के विजयपुर में गेल (गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) इंडिया की उत्पादन इकाई है। वर्ष 1984 में स्थापित गेल भारत में गैस उत्पन्न करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है।

गुना जिले में प्रसिद्ध क्रातिकिया वृत्त्य किया जाता है, यह वृत्त्य कार्तिक माह में किया जाता है। गुना के विजयपुर में भू-उपग्रह दूर संचार उपग्रह केन्द्र है। गुना जिले में धनिया का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है तथा यहाँ की तहसील कुंभराज स्थित मंडी, धनिया के लिए जानी जाती है। गुना जिले में गोपी कृष्ण सागर डैम स्थित है, जो कि पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। गुना जिले में सिंध और पार्वती नदी प्रवाहित होती है। पार्वती नदी राजस्थान और गुना जिले की सीमा बनाती है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर के बीच से होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पार्वती नदी के किनारे कुंभराज, आरोन और सुठलिया परियोजना के नाम से बांध बनाया जाना प्रस्तावित है।

म.प्र. की पाँचवी सबसे बड़ी जनजाति 'सहरिया' गुना जिले में निवास करती है। गुना जिले में हिन्दी भाषा तथा बुंदेली व सहरिया बोली जाती है। कृषि जिले का मुख्य व्यवसाय है। गुना जिले में मुख्य फसल के रूप में ज्वार का उत्पादन किया जाता है, इसके अलावा गेहूँ और चने की खेती भी होती है। पशुपालन में गाय और भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है तथा जिले में मवेशी पालन उद्योग के रूप में दूध उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है।

02- जिला गुना में खनन कार्यकलापों का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Guna)



जिला गुना- तहसीलवार अध्ययन क्षेत्र



जिला गुना में मुख्यतः गौण खनिज निक्षेप पाये जाते हैं जिसमें खनिज रेत, गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर, मिट्टी, मुर्लम तथा फर्शपत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।


03- गुना जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Guna District)

मध्यप्रदेश के गुना जिले की महत्वपूर्ण जानकारी

क्र.	जिले की जानकारी	जिले का तथ्य
1.	जिले का नाम	गुना
2.	गठन	01 नवंबर, 1956
3.	ब्लॉक	गुना, बमोरी, आरोन, राघौगढ़ तथा चांचौडा
4.	तहसीलें	गुना, बमोरी, चांचौडा, कुंभराज, राघौगढ़, आरोन, मक्सूदनगढ़
5.	पडोसी जिलों के साथ सीमा	राजगढ़, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी
6.	संभागीय कार्यालय	ग्वालियर
7.	जिले का क्षेत्रफल	6,390 वर्ग कि.मी.
8.	गाँव	1338
9.	भाषा	हिन्दी
10.	बोलियाँ	बुंदेली तथा सहरिया
11.	पुलिस स्टेशन	15
12.	जनसंख्या (2011)	12,41,519
13.	साक्षरता दर (2011)	63.23 प्रतिशत
14.	राज्यों के साथ सीमा	राजस्थान (झालावाड और बारां)
15.	भौगोलिक स्थिति	23°50'00"N - 25°10'00"N व 76°50'00"E - 77°40'00"E अक्षांश-देशांतर
16.	राष्ट्रीय राजमार्ग	एन.एच.-3
17.	मुख्य नदियाँ	पार्वती एवं सिंध
18.	विधानसभा सीट	गुना, बमोरी, चांचौडा, राघौगढ़
19.	लोकसभा सीट	गुना (गुना, बमोरी, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, शिवपुरी, पिछोर तथा कोलारस निर्वाचन क्षेत्र)
20.	समुद्र तल से औसत ऊँचाई	474 मीटर (1555 फीट)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SLEIA)
Date: 20/07/2018
Time: 08:00 AM
Page | 8

04- जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)



Vindhyan Super Group के Rock Type, Upper Vindhyan Rock Types द्वारा दर्शित है, जिसके अंतर्गत Bhander Group के शैल प्रकार सम्मिलित है। Neo Proterozoic काल

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)

Taravaran Parivar
E-5, Acrea Colony, Bhopal (M.P.)

(90-57 करोड वर्ष) के Bhander Group में Ganurgarh Shale साथ में बालू पत्थर, Bhander Limestone व Lower Bhander Sandstone साथ में अंदर अनियमित शैल प्रकारों का समावेश है। यह जिले के उत्तर-पश्चिमी भाग में एवं डेक्कन ट्रैप के मध्य पाये जाते हैं। Vindhyan Super Group के Rock Types प्रमुखतः श्रेणीबद्ध शैल व बालू पत्थर के एकान्तरित क्रम में पाये जाते हैं।


Cretaceous काल (13.6-5 करोड वर्ष) के लमेटा समूह के शैल-प्रकार सिलिसियस चूना-पत्थर व अत्यधिक जीवाशमयुक्त बालू-पत्थर से युक्त है जो जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में 08 से 25 कि.मी. सिरसी के दक्षिण-पूर्व में व्याप्त है। यह शैल प्रकार डेक्कन ट्रैप लावा-स्तरों के नीचे समतलीय अवस्था में विद्यमान है।

Cretaceous to Palaeogene काल (6.5-6 करोड वर्ष) के Deccan Trap के अंतर्गत मालवा समूह के Basaltic Lava Flows जिले के दक्षिणी, मध्य, कुछ उत्तरी भाग तथा उत्तर-पश्चिमी भागों में व्याप्त है। Deccan Trap Lava Flows के Base में Intertrappeans पाये जाते हैं, जिनका Occurrence, Lacustrine or Fluvialite Origin का है। इनके अंतर्गत जीवाशमयुक्त चर्ट व जीवाशम-विहीन चर्टी चूना-पत्थर है जो कि जिले के उत्तर-पश्चिमी दक्षिण-पूर्वी व दक्षिणी भाग में पाये जाते हैं। मालवा समूह के लावा स्तरों को कालीसिन्ध, कांकरिया-पीलुखेड़ी व इंदौर संरचना स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। यह समूह 14 बैसाल्ट लावा-स्तरों से युक्त है जो 'आ', 'पाहोहो' व मेगाक्रिस्ट प्रकृति के हैं। कालीसिन्ध संरचना स्तर पॉच 'आ' प्रकार के बैसाल्ट लावा-स्तरों से युक्त है, जो नॉन-पॉरफिरिटिक से मध्यम पॉरफिरिटिक प्रकार के हैं। कांकरिआ-पीलुखेड़ी संरचना स्तर चार 'आ' प्रकार बैसाल्ट लावा-स्तरों जो नॉन-पॉरफिरिटिक से कम पॉरफिरिटिक व एक मेगा-क्रिस्ट लावा-स्तर ऊपरी-मध्य भाग में तथा एक 'पाहोहो' लावास्तर आधार में पाया जाता है, नवीनतम इंदौर संरचना-स्तर मात्र एक 'आ' प्रकार के बैसाल्ट लावा-स्तर से युक्त है जो अल्प से मध्यम पॉरफिरिटिक गुणों का है।


Cainozoic काल (7-0.1 से कम करोड वर्ष) के लेटेराइट बड़े बोल्डरों या शिला-खण्डों व निक्षेपों रूप में विद्युन उन्न भू-भाग व डेक्कन पठारों पर आच्छादित है जो जिले के मध्य व पश्चिमी भाग में व्याप्त है। लौहयुक्त लेटेराइट के निक्षेपों के स्तरों की मोटाई 1 से 5 मीटर है। चतुर्थकल्पीय काल (10 लाख वर्ष से कम) के जलोढ़क संकरी पटिकाओं तथा पृथक रूप से विकसित खण्डों के रूप में पार्वती नदी के किनारों पर जिले के दक्षिणी भाग में तथा पारोल के निकट जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में विद्यमान है। यह जलोढ़क पैबल स्तर, ग्रिट, सिल्ट व बालू से युक्त है।


Geological Succession of District Guna

<u>Lithology</u>	<u>Stratigraphic Status</u>	<u>Age</u>
Alluvium (Sand, Silt)		Quaternary
Laterite		Cainozoic
'Aa', Compound 'Pahoehoe' And Basaltic Lava Flows (Malwa Group –Deccan Trap)	Indore Formation Kankariya Formation Pirukheri Formation Ranod Formation	Cretaceous to Palaeogene
	Kali Sindh Formation Karwa Formation	
	Unclassified Basaltic Lava Flows/Intertrappean (Limestone and Chert)	
Lameta Group	Siliceous Limestone & Fossiliferous Sandstone	Cretaceous
Vindhyan Super Group (Bhander Group)	Lower Bhander Sandstone Bhander Limestone Ganurgarh Shale	Neo Proterozoic (Late)


 State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
 (SLEIA)
 Parayan Parivar
 E.S. Award 2010


05- जिले में भू-उपयोग आवरण का स्वरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)





Land Use & Land Cover Classes of the District Guna

LULC Breakup of the District	% Area	Area (in Sq. km.)
Built-up Land	0.27682934	17.5014
Crop Land	58.63356896	3706.867
Deciduous Broadleaf Forest	22.68169229	1433.957
Fallow Land	6.762921755	427.558
Mixed Forest	4.961476347	313.669
Shrubland	5.331733651	337.077
Wasteland	0.102145018	6.4577
Water Bodies	1.209783474	76.4836
Plantation	0.039891871	2.522




जिला गुना के वन मण्डल का वन क्षेत्रफल कुल 180 वन खण्डों के अंतर्गत सम्मिलित होकर कुल 2214.67 वर्ग कि.मी. है, जिसमें से आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 774.60 वर्ग कि.मी. जिसमें 25 वन खण्ड सम्मिलित हैं तथा संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 1440.07 वर्ग कि.मी. जिसमें 155 वन खण्ड सम्मिलित हैं।

जिला गुना में तीन प्रकार का Forest Classification पाया जाता है-

1. Teak Forest
2. Mixed Forest
3. Bamboo Forest


जिला गुना में वनों की निम्नलिखित प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे कि- Teak, Dhaora, Achar, Aonla, khair, Kaim, Tendu, Bija, Behera, Salai, Tinsa, Gurjan, Khai, Sal, Palas, Bamboo, Dhaoral, Lendia, Sajaj etc.



मध्यप्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टीयाँ पाई जाती हैं-


1. काली मिट्टी
2. लाल-पीली मिट्टी
3. जलोढ़ मिट्टी
4. कछारी मिट्टी
5. मिश्रित मिट्टी

गुना जिले का भू-भाग, जलोढ़ मिट्टी एवं गहरे रंग की काली मिट्टी के आवरण वाला है, जिसे दोमट मिट्टी (Loamy Soil) भी कहा जाता है। यह मिट्टी उर्वरक एवं काफी उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मिट्टी में सिल्ट, चिकनी मिट्टी एवं बालू का मिश्रण होता है जिसमें 40 प्रतिशत सिल्ट, 20 प्रतिशत चिकनी मिट्टी तथा 40 प्रतिशत बालू की मात्रा की उपस्थिति होती है, यह उक्त संरचना मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। इस मिट्टी के कर्णों में बहुत अधिक जल धारण क्षमता होती है, जिस कारण यह पानी की पर्याप्त मात्रा को रोके रहती है और इसमें वायु संचार भली-भौति होता है।




गुना जिले में काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर पाई जाने वाली डेक्कन ट्रेप बैसालिटिक लावा चट्टानों के क्षरण के कारण हुआ है। इस मिट्टी के रसायनिक संगठन में अन्य रसायनों के अलावा लोहे और चूने की मात्रा अधिक होने से इसका रंग काला हो जाता है। पानी पड़ने पर ये मिट्टी चिपकती है और सूखने पर इनमें बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मिट्टी में वायु संचरण तथा जल निकासी की समस्या नहीं होती है।

गुना जिले के आरोन एवं चांचौडा ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी (Clay Soil) भी पाई जाती है, इस मिट्टी के कण बहुत ही महीन होते हैं और पास-पास स्थित होने के कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इस मिट्टी के कणों में जल धारण क्षमता कम होती है तथा Air Spaces कम होने के कारण वायु संचार नहीं होता है, जिस कारण यह मिट्टी अधिक उर्वरक नहीं होती है।



जिला गुना Seismic Activity Zone के Low Damage Risk Zone के अंतर्गत आता है।


06- जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface Water & Ground Water Scenario in the District)



जिला गुना में मुख्य रूप से दो नदियाँ - पार्वती और सिंध प्रवाहित होती हैं, इनके अलावा इनकी सहायक नदियाँ पुरेती, बर्णी, अंधेरी तथा कुन्जू नदियाँ प्रवाहित होकर जिले में भौगोलिक रूप से Dendric Pattern का निर्माण करती है।

Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)
Farmanagar, Bhopal (M.P.)

H.E. Mr. Arvind Gehlot, IAS, Bhopal (M.P.)




जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। जल के उपयोगों में शामिल है- कृषि, औद्योगिक, घरेलु और पर्यावरणीय गतिविधियाँ। वर्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर में ताजे जल की आवश्यकता होती है।

जल संसाधन के प्रकार :

1. सतही जल संसाधन
2. भूमिगत जल संसाधन

जिला गुना, जल संसाधन के मामले में अच्छी दिथति में है। यहाँ मुख्य रूप से दो नदीयाँ प्रवाहित होती हैं - पार्वती एवं सिंध तथा इनकी सहायक नदियों के रूप में कूनूर, अंधेरी, पूरेती एवं बर्वी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके आलावा जल स्रोतों के रूप में मानव निर्मित तालाब एवं बांध मौजूद हैं।




Lithology of Groundwater Potential Zone of District Guna

Ground Water Potential Zone	Lithology
Fairly Good	Bhander Sandstone
Good	Limestone
	Laterite
	Deccan Trap
Low	Alluvium


State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(FRCO)

Paryavaran Parishar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



जिला गुना को छ: Watershed में बांटा गया है जिसका Interpretation निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Watershed	Area (in Sq. Km.)
1	Parbati River	2917 Sqkm
2	Sindh River	1129 Sqkm
3	Kunu River	596 Sqkm
4	Barri River	678 Sqkm
5	Purnti River	513 Sqkm
6	Andheri River	556 Sqkm



चम्बल बेसिन - चम्बल नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो विन्ध्यन पठार के उत्तरी पश्चिमी लोब तथा अरावली पर्वत के मध्य जलोढ़ संरचना से होकर प्रवाहित होती है। इसलिए इस प्रदेश को चम्बल बेसिन का नाम दिया जाता है। चम्बल और इसकी सहायक नदियाँ जैसे - सिंध और पार्वती कोठा में एक त्रिकोणमयी बेसिन का निर्माण करती हैं।


यमुना बेसिन - यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री (उत्तरकाशी से 30 किमी उत्तर, गढ़वाल में) नामक जगह से निकलती है और प्रयाग (प्रयागराज) में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चम्बल, सौंगर, सिंध, बेतवा और केन उल्लेखनीय हैं।

MP Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)
Parvati Nagar, Bhopal (M.P.)
E-5, Nisha Colony, Bhopal (M.P.)

07- जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Rainfall & Climate Condition in the District)

Rainfall in Guna District (Data as per Ground Water Year Book – CGWB)

Year	Monsoon Rainfall	Normal Rainfall	Departure from Normal Monsoon Rainfall (%)	Category
2017-18	631.4	879.4	-28	Deficit
2018-19	907.8	943	-4	Normal
2019-20	1557.2	888.1	75	Large Excess
2020-21	847	888.1	-5	Normal
2021-22	1633.2	888.1	84	Large Excess



जिला गुना में मानसून का मौसम जुलाई से प्रारंभ होता है, इस दौरान यहाँ नियमित वर्षा होती है। जिला गुना सर्दी में अत्यधिक ठंडा रहता है। सर्दी का मौसम नवम्बर से फरवरी तक रहता है। दिसम्बर और जनवरी में यहाँ रात का तापमान कभी-कभी 5 से 6 डिग्री सेन्टीग्रेड तक चला जाता है जबकि उच्चतम तापमान दिन में 18-20 डिग्री सेन्टीग्रेड के आस-पास रहता है। दिसम्बर-जनवरी माह में जिले में कड़के की ठंड पड़ती है जिसके साथ-साथ कोहरा भी पड़ता है। उसी समय उत्तर-पश्चिम से आने वाली हवायें जिले को असामान्य रूप से ठंडा करती हैं।

08- प्रदत्त प्रारूप अनुसार जिले में खनन पट्टों का ब्यौरा (Detail of the Mining Leases in the District as per the Following Format)

क्र. संख्या	पट्टेदार का नाम	पट्टेदार का नाम और संपर्क संख्या	खनन पट्टा अनुदान आदेश एवं संख्या एवं तारीख	शहरी ल का नाम	खनन पट्टे का संख्या नं.	खनन पट्टे की अवधि (प्रारंभ कर्त्ता द्वारा देशात्मक)	खनन पट्टे की अवधि (प्रारंभ कर्त्ता द्वारा देशात्मक)	खनन पट्टे के प्रारंभ होने की तारीख (द्वारा देशात्मक)	खनन पट्टे के प्रारंभ होने की तारीख (द्वारा देशात्मक)	प्रारंभिक कार्यशीलता (गैर-कैरियर ट्रक द्वारा कार्यशीलता)	प्रारंभिक कार्यशीलता (गैर-कैरियर ट्रक द्वारा कार्यशीलता)	खनन पट्टे की अवधि (अकांया एवं देशात्मक)	खनन पट्टे की अवधि (अकांया एवं देशात्मक)	प्रारंभिक कार्यशीलता (गैर-कैरियर ट्रक द्वारा कार्यशीलता)			
1	मुकुम शेलेन्ड चौधरी	942518019 9	पट्टेदार का नाम और संपर्क संख्या 1.052 दिवांक 23.06.16	ग्राम जगन्नपुर	गुना सर्वे नं. 39/1/क	रुक्या 2.000 हे.	23.06.2016	—	—	5/7/20 कार्यशीलता	गैर-कैरियर ट्रक द्वारा कार्यशीलता	प.क्र. 1114 3 दिवांक 09.02.16	24°37'37.0 0"N 77°18'20.0"E 24°36'55.5"N 77°18'19.3"E 24°36'56.1"N 77°18'16.3"E 24°37'01.7"N 77°18'17.9"E	(शुल्क) 1 3 युक्त लिप्त स 6 शीशम 3 नीम			
2	मुकुम अकित जाट	942518019 9	पट्टेदार का नाम और संपर्क संख्या 538-39 08.01.19	ग्राम सिंगारा सा	गुना सर्वे नं. 377/9	रुक्या 2.000 हे.	19.06.2019	—	—	21.06.19 से	कार्यशीलता	प.क्र. 7.84 दिवांक 22.0.5.19	24°38'36.8 4"N 77°21'59.0 3"E 24°38'36.7 6"N	(शुल्क) 1 3 युक्त लिप्त स 4 शीशम 3 नीम			

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
L. P. U.
Environment Partner
E-mail: slaeia@mpgov.nic.in | Ph: +91-751-2222176, 2222177

जिला अवैद्युत बियोट

2029											
3 मुकुम	जगमीत सिंह निवासी-गुना	877033544	3950 दिनांक 14.01. 19	ग्राम मावन	गुना	सर्वे न. 679/1	रक्कया 2,000 ८	19.06. 2019 से	-	23.07.19	कार्यशी ल केंद्रिय
											प.क्र. 77°22'45.5 5°E 24°38'41.0 7°N 77°22'4.50" E 24°38'41.0 5°N 77°21'57.9 7°E
											प.क्र. 24°38'09.1 0°N 77°22'42.5 0°E 24°38'05.5 0°N 77°22'42.2 0°E 24°38'05.1 0°N 77°22'30.0 0°E 24°38'10.1 0°N 77°22'30.0 0°E
											(शुल्ति) 1 2 3 यूके लिट स 6 शीशम 3 वीम
4 मुकुम	धर्मनद सिंह जाट, निवासी-गुना	797419390	7697-9 दिनांक 31.05. 19	ग्राम सकतपु र	गुना	सर्वे न. 8/1/मिन -1	रक्कया 1,000 ८	25.01. 2020 से	-	25.01.20	कार्यशी ल केंद्रिय
											प.क्र. 24°41'04.1 0°N 1519 दिनांक 03.07. 19
											0 यूके लिट स 4 शीशम 3 वीम
											(शुल्ति) 1 0
5 मुकुम	एकलल वीरसिंहा निवासी-गुना	797419901	7694-9 दिनांक 31.05. 19	ग्राम सकतपु र	गुना	सर्वे न. 8/1/मिन -1	रक्कया 1,000 ८	25.01. 2020 से	-	25.01.20	कार्यशी ल केंद्रिय
											प.क्र. 24°41'12.1 0°N 1464 दिनांक 03.07. 0°E
											3 यूके लिट स 6

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SLEIAA)
Dwarkavati Parivar
B-5, Agra Sato, Bhind (M.P.)

जिला अर्केश्या विषये

6	मुरम नवीन तिस्त चौधरी निवासी- गुना हारा हरिसिंह जाट	942518019 9	3379 तिनांक 24.01. 20	ग्राम गोपालपु रा	गुना सर्व नं. 13	रक्खा 2.000 हे.	2020 से 24.01. 2030	25.01. —	—	6 / 7 / 20 ल	कारबशी गैर- कैस्टिव	प.क्र. 3.975 तिनांक 14.01. 19	24°4'127.5 0°N 0°E	(खुली) 1 2 3 शीशम लीम
7	मुरम शैलेन्द्र चौधरी निवासी-गुना	942518019 9	15414- 15 तिनांक 29.09. 18	ग्राम मावन	गुना सर्व नं. 679/1	रक्खा 4.000 हे.	2020 से 23.02. 2030	24.02. —	—	24.02.20 ल	कारबशी गैर- कैस्टिव	प.क्र. 1513 तिनांक 03.07. 19	24°38'14.2 0°N 0°E	(खुली) 1 0 3 शीशम लीम

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)
Parivaran Parivar
C.G. Amt. Building, Sirohi (M.P.)

8	मुरास मनीष तिंहे राजपूत निवासी— कस्त्रबा नार. गुना	661-62 विंचांक 17.01. 20	ग्राम स्वरात्पु र	गुना सर्व नं 8/1/विन -1	रकवा 2000 हे	18.06 2020 से	— —	19.10.20 ल	कायशी ल	गेर- कीटिव	प.क. 4.3.4.0 विंचांक 1.1.0.2. 20	24°41'14.0 5°N 77°17'35.9 0°E 2°N	युक्ते लिट स 4 शीशम .3 वीम
9	मुरास मध्यक शामा पुत्र निरधारी हाल शामा निवासी—नान्हुते कालोनी गुना	831902527 2 402 विंचांक 11.11. 20	ग्राम गणशापु रा	गुना सर्व नं 13	रकवा 2000 हे	26.12 2020 से	— —	22.02.21 ल	कायशी ल	गेर- कीटिव	प.क. 3.70.2 विंचांक 1.6.1.0. 20	24°41'36.6 2°N 77°17'37.5 5°E 7°N	युक्ते लिट स 4 शीशम .3 वीम

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)
Parvatiaran Parivar
C-5, Sector-10, Bhopal (M.P.)

09- विगत तीन वर्षों के राजस्व का व्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)

मध्यप्रदेश शासन को जिला गुना से विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16 करोड राजस्व की प्राप्ति हुई है, अतः खनिज उपलब्धता के दृष्टिकोण से जिला गुना मध्यप्रदेश राज्य का गौण खनिज उपलब्धता वाला एक महत्वपूर्ण जिला है।

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
1.	2019-20	7,35,75,664/-
2.	2020-21	8,95,63,060/-
3.	2021-22	16,22,55,735/-


10- विगत तीन वर्षों के उत्पादन का व्यौरा (Production Details of Last Three Years)

वित्तीय वर्ष	खनिज	उत्पादन (घ.मी. में)
2019-20	मुरुम	16,506
2020-21	मुरुम	24,830
2021-22	मुरुम	29,594

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPAO)

Paryavaran Parivar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.) Page | 28

11- जिला गुना का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Guna)



EXPLANATION	
Water bodies	Rivers & Canals
Major roads	Secondary roads
State boundaries	District boundaries
Block boundaries	Village boundaries
Block centres	Villages
Block numbers	Village numbers
Block area	Village area
Population	Nomadic population
Land use	Land use
Soil types	Soil types
Vegetation	Vegetation
Geological features	Geological features
Water bodies	Rivers & Canals
Major roads	Secondary roads
State boundaries	District boundaries
Block boundaries	Village boundaries
Block centres	Villages
Block numbers	Village numbers
Block area	Village area
Population	Nomadic population
Land use	Land use
Soil types	Soil types
Vegetation	Vegetation
Geological features	Geological features

Block Level Environment Impact
Assessment Authority M.P.
(EPCA)

Plot No. 1010/1, Sector 3, Bhopal (M.P.)
E-5, Area 5, Taluka Bhopal (M.P.)

12- जिले में उपलब्ध कुल खनिज भण्डार (Total Mineral Reserve Available in the District)

जिला गुना, मध्यप्रदेश में गौण खनिज दोहन हेतु एक महत्वपूर्ण जिला है। जिसमें खनिज रेत, गिट्ठी हेतु पत्थर, मुरुम, फर्सी पत्थर, खण्डा-बोल्डर, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

जिला गुना में गौण खनिजों में खनिज रेत की 23 खदानें हैं, जिनमें नीलामी की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। गिट्ठी निर्माण हेतु पत्थर खनिज की कुल 44 खदानें एवं मुरुम खनिज की 09 खदानें स्वीकृत हैं।

13- जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड (Quality/Grade of Mineral Available in the District)


जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड की गुणवत्ता अच्छी है। उक्त कारणों से ही जिले में उत्खनिपट्टों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है।

14- जिले में उपलब्ध खनिजों का उपयोग (Use of Available Minerals in the District)

जिला गुना में मिलने वाले गौण खनिज जैसे कि- खनिज रेत, खनिज पत्थर क्रेशर (गिट्ठी) एवं खनिज मुरुम का उपयोग सामान्यतः निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है।


15- जिले में विगत वर्षों के दौरान खनिज की मांग एवं पूर्ति (Demand & Supply of Minerals in the District During the Last Three Years)

विगत वर्षों में जिले की जनसंख्या में जैसे-जैसे वृद्धि होती गई, उसी प्रकार अन्य उपलब्ध मानव संसाधनों की तरह ही खनिज संसाधन की मांग एवं आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है। जिला गुना में विगत 05 वर्षों में निर्माण कार्यों में वृद्धि होने के कारण गौण खनिज रेत, पत्थर क्रेशर (गिट्ठी) व मुरुम की मांग में वृद्धि हुई है, जिसकी आपूर्ति हेतु जिला स्तर पर उत्खनिपट्टों की संख्या में वृद्धि हुई है।


 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPSCO)
 Parivahan Parivar
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

16- जिले के मानचित्र पर चिन्हांकित खनिज पट्टे (Mining Leases Marked on the Map of District)

जिला गुना में गौण खनिज मुरुम की 09 खदाने स्वीकृत होकर संचालित हैं।



State Environment
Management Board
Authority (SEMCO)
District
Parasuram Parshar
Guna (M.P.)

17- जिले में गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों का व्यौरा (Details of Minor Mineral Proposed Mines in the District)

जिला गुना के गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों की सूची

क्र.	नाम/पता	उल्लेखित क्षेत्र का विवरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1.	राजवीर सिंह रघुवंशी निवासी-वार्ड क्र. 10 गुलाब गंज आरोन	ग्राम बारोद, तहसील आरोन, सर्वे नं. 65/1 मिन-2, रकबा 2.000 हे.	शासकीय
2.	वैसरी सुपरटेक कांक्रीट प्रोडक्ट निवासी-गुना	ग्राम बजरंगगढ तहसील गुना, सर्वे नं. 493 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
3.	राजकुमार पुत्र नानजीराम लोधी निवासी-ग्राम खंदी, सुठालिया, जिला-राजगढ	ग्राम तेलीगांव तहसील-चांचौडा सर्वे नं. 170/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
4.	अपूर्वा दीक्षित पत्नि विकास दीक्षित निवासी-ऑफिसर कालोनी कैन्ट, गुना	ग्राम चिनायकखेड़ी, तहसील-गुना, सर्वे नं. 62/4 रकबा 1.000 हे.	निजी
5.	मोहनराज मीना पुत्र बिट्ठलदास मीना निवासी-ग्राम नया दुबेला कालोनी बमोरी	ग्राम हरिपुर तहसील-गुना सर्वे नं. 473/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
6.	अनिलरुद्ध मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण मीना निवासी-ग्राम भैसुआ, तह.चांचौडा	ग्राम भैसुआ तहसील-चांचौडा, सर्वे नं. 360/1/1 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
7.	धर्मेन्द्र सिंह रघुवंशी निवासी-आरोन, जिला-गुना	ग्राम चनवीरखेड़ी तहसील-आरोन सर्वे नं. 349/1/मिन-2 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
8.	राजीव रघुवंशी पुत्र मोहन सिंह निवासी-आरोन, जिला-गुना	ग्राम खामखेड़ा तहसील- आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 4.000 हे.	शासकीय
9.	अरविन्द धाकड निवासी-साडा कालोनी, राघौगढ	ग्राम हजरतपुर सर्वे नं. 31/1, 31/2, 36 रकबा 2.700 हे.	निजी
10.	शिवराज यादव पुत्र वनवीर यादव निवासी-ग्राम जामनेर, जिला-गुना	ग्राम भोतीपुर, तहसील- मकसूदनगढ सर्वे नं. 170/5, 170/6 रकबा 3.000 हे.	शासकीय
11.	विशाल रघुवंशी निवासी-ग्राम खामखेड़ा, आरोन	ग्राम खामखेड़ा, तहसील-आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 1.000 हे.	शासकीय
12.	दीपक कुमार झा निवासी-व्यावरा, जिला राजगढ	ग्राम गुर्जरखेड़ी तह. कुंभराज, सर्वे नं. 119/1 रकबा 1.500 हे.	शासकीय

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)


Paryavaran Pariser
E-5, Area Colony, Bheem (M.P.)

13.	फूलबाई पुत्र ज्ञानसिंह निवासी-म्यापुर, तहसील-शाढ़ौरा	ग्राम खामखेड़ा, तहसील-आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 5.000 हे.	शासकीय
14.	दीपक कुमार झा निवासी-व्यावरा, जिला राजगढ	ग्राम वेत्याखेड़ी, तहसील चांचौड़ा, सर्वे नं. 38/1 रकबा 1.000 हे.	शासकीय
15.	रानी आदिवासी पल्लि तुलसीराम निवासी-ग्राम धानोरा, जिला-सागर	ग्राम खामखेड़ा, तहसील आरोन, सर्वे नं. 136/2/क रकबा 6.000 हे.	शासकीय
16.	भगवान सिंह मीना निवासी-इन्द्रा कालोनी, वार्ड नं. 04, कुंभराज	ग्राम-कुंभराज, तहसील-कुंभराज, सर्वे नं. 551/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
17.	सत्येन्द्र जैन निवासी-आकाश वाणी, कॉलेज रोड, गुना	ग्राम दुंगासरा, तहसील-गुना, सर्वे नं. 104/1/ख रकबा 2.000 हे.	शासकीय
18.	हरपाल गिल निवासी-भगत सिंह कालोनी, गुना	ग्राम लेगमा, तहसील गुना, सर्वे नं. 238/1/2 मिन-6 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
19.	भगवान सिंह मीना निवासी-कुंभराज	ग्राम कुंभराज, तहसील कुंभराज, सर्वे नं. 551/2 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
20.	राजा रघुवंशी निवासी-मूडराखुर्द, आरोन	ग्राम बनवीरखेड़ी, तहसील-आरोन, सर्वे नं. 349/1 मिन-2 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
21.	शेखर वशिष्ठ निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम गणेशपुरा, तहसील-गुना सर्वे नं. 173/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
22.	प्रभाकर सेंगर पुत्र देव सिंह सेंगर निवासी- फेंडस कालोनी, गुना	ग्राम गणेशपुरा, तहसील गुना, सर्वे नं. 13, रकबा 2.000 हे.	शासकीय
23.	जितेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम बजरंगगढ़, तहसील गुना, सर्वे नं. 1019(एस) रकबा 4.000 हे.	शासकीय
24.	राजेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम मकरावदा, तहसील गुना, सर्वे नं. 49/1/11(एस) रकबा 4.000 हे.	शासकीय
25	जगदीश गुर्जर निवासी-जरकियाखेड़ी, तह.व्यावरा जिला-राजगढ	ग्राम पाखरियापुरा, तहसील चांचौड़ा, सर्वे नं. 27/11(एस) रकबा 2.000 हे.	शासकीय
26.	लोकेन्द्र गुप्ता निवासी-कुंभराज, जिला-गुना	ग्राम खेजडारामा, तहसील कुंभराज, सर्वे नं. 743/1/7/1(एस) रकबा 2.000 हे.	शासकीय
27.	रामजीलाल धाकड निवासी- गुना	ग्राम-रानीगंज तहसील-गुना, सर्वे नं. 112/4(एस)	शासकीय

		रकबा 4.000 हे.	
28.	हरिसिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम-पिपरौदाखुर्द, तहसील-गुना, सर्वे नं. 61 (एस) रकबा 2.000 हे.	शासकीय
29.	सुनील सिंह भदौरिया निवासी-दुर्गा कालोनी, गुना	ग्राम-उमरी, तहसील-गुना, सर्वे नं. 105/1/1 रकबा 3.000 हे.	शासकीय
30.	राजेश शर्मा निवासी-कृष्ण बिहार, ग्वालियर	ग्राम-मूँडरामाता, तहसील-आरोन, सर्वे नं. 3/1/1/1 रकबा 3.000 हे.	शासकीय
31.	विनोद कुमार लाहोठी, निवासी- राघौगढ	ग्राम अल्लीपुरा, तहसील-राघौगढ़, सर्वे नं. 53/27/1, 53/26/3, 53/28 रकबा 2.000 हे.	निजी
32.	अविनाश कलावत निवासी-गुलाब गंज, कैन्ट, गुना	ग्राम -रानीगंज, तहसील गुना, सर्वे नं. 112/4, रकबा 3.000 हे.	शासकीय
33.	सादिक मोहम्मद निवासी- मक्सूदनगढ	ग्राम कोलारस तहसील-मक्सूदनगढ सर्वे नं. 301/1 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
34.	मैसर्स व्ही.व्ही.सी.प्रा.लि. राघौगढ निवासी-राघौगढ	ग्राम ढाढोन्या, तहसील-मक्सूदनगढ़, सर्वे नं. 184/1, रकबा 2.750 हे.	शासकीय
35.	अनिल नायक पुत्र श्री गिरजाशंकर नायक निवासी-साडा कालोनी, राघौगढ	ग्राम-चैनपुरा, तहसील-राघौगढ़, सर्वे नं. 84, रकबा 3.000 हे.	शासकीय
36.	विनोद नायक पुत्र श्री जी.एस.नायक निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम-लाडपुरा, तहसील-राघौगढ़, सर्वे नं. 32/07, रकबा 4.000 हे.	शासकीय
37.	जितेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी गुना	ग्राम-श्यामपुर तहसील-बमोरी सर्वे नं. 49/1/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
38.	ईवान्शु अग्रवाल निवासी-डोवरा	ग्राम-डोवरा तहसील बमोरी सर्वे नं. 16/2 रकबा 2.000 हे.	निजी


MP State Land Record & Revenue Department
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Parvatanan Parivar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

18- गुना जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृतिक शीर्ष एवं ढालन का स्वरूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the Guna District)




भू-आकृतिक रूप से जिले का अधिकांश भू-भाग ज्वालामुखी उत्पत्ति के Low Level Plateaus, व Plains तथा नदियों द्वारा विकसित Terrace/Rocky Benches, Flood Plains को दर्शाता है। अन्य भू-आकृतिक इकाइयों के रूप में पूर्वोत्तर भाग में प्रोटिरोजोइक शैल-प्रकारों से विकसित संरचनात्मक पठार व मैदान तथा पूर्वी भाग में प्रोटेरोजोइक काल के Sedimentary Rocks से विकसित संरचनात्मक सोपान व Pediments-Pediplains विद्यमान हैं।

जिले का भू-भाग वृहद गंगा द्रोणी के अंतर्गत चम्बल, सिन्ध व बेतवा उप-द्रोणीयों का भाग है। पार्वती व सिन्ध तथा इनकी सहायक नदियों जिले के पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी भाग में बहती हैं।




जिले में अधिकतम व न्यूनतम ऊँचाई के स्थान समुद्र तल से 553.70 मी. व 303.60 मी. ऊपर क्रमशः दक्षिणी भाग में आरोन के 09 कि.मी. दक्षिण में तथा उत्तर पश्चिमी भाग में पाडोन के 21 कि.मी. द. द. प. में स्थित है।

DIGITAL ELEVATION MODEL MAP OF DISTRICT GUNA



Topography का Digital Representation ही Digital Elevation Model (DEM) कहलाता है। जिला गुना का Lowest Elevation 303.60 Meter तथा Highest Elevation 553.70 Meter है।



Slope, Landscape Features के मौलिक रूप को दर्शाता है, जो कि इन Features की Hydrological Engineering व Environmental Aspects के लिए महत्वपूर्ण है। जिला गुना का Slope Classification निम्नानुसार है-

Classification of Slope Percentage

Slope (%)	Slope Classification
0-3	Flat or Almost Flat
3-5	Gently Sloping
5-15	Sloping
15-30	Moderately Steep
More than 30	Very Steep

19- पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शौर, मिट्टी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)

खनन के पर्यावरणीय प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खनन प्रथाओं के माध्यम से स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो सकते हैं। खनन प्रक्रियाओं से निकलने वाले रसायनों के प्रभाव से जैव विविधता का नुकसान या मिट्टी, भूजल और सतही जल का दूषित होना होता है।

- 1. वायु-** खनन गतिविधियों जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपर की मिट्टी को हटाना और मुरम की सामग्री के निष्कर्षण से हवा में बड़ी मात्रा में धूल निकल सकती है। इसी तरह बड़े वाहनों में बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के खनिजों की आवाजाही वायु प्रदूषण और श्वसन समस्याओं का कारण बन सकती है।
- 2. पानी -** खनन का आसपास की सतह और भूजल पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
- 3. शौर -** खनन गतिविधियाँ जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपरी मिट्टी को हटाना और भारी मशीनरी और क्रशिंग प्लांट के माध्यम से मुरम की सामग्री का निष्कर्षण आसपास के क्षेत्रों में भारी शौर पैदा करता है।
- 4. मिट्टी -** फ्लैगस्टोन और बोल्डर खानों के मामले में खनन गतिविधियों के कारण चट्टानों की आवाजाही और अधिक बोझ की आवाजाही। मिट्टी पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। यह मिट्टी के क्षरण और भूमि के क्षरण का कारण बनता है।
- 5. वनस्पति और जीव -** खनन गतिविधियाँ स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कभी-कभी खनिज निकालने से पहले बड़ी संख्या में पौधे और पेड़ काट दिए जाते हैं। इसी प्रकार नदियों में भारी बालू खनन से जलीय जीवन के परिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होता है।
- 6. भूमि उपयोग, कृषि और वन -** एक खनन गतिविधि भूमि उपयोग पैटर्न क्षेत्र उदाहरण के लिए पहाड़ और पहाड़ियों से खनिजों का निष्कर्षण पहाड़ों की सुंदरता को कम कर सकती है, कृषि भूमि निकटवर्ती क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण बंजर भूमि में बदल

जाती है। वन क्षेत्रों में खनन गतिविधि के कारण जंगल का बड़ा क्षेत्र कट जाता है जिससे क्षेत्र में वनों की कटाई होती है।

20- पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)

जिला गुना व्यूनतम पर्यावरण संघात वाला जिला है, उक्त संघात के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पट्टाधारियों व उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों एवं आम नागरिकों में पर्यावरण संचेतना एवं जागरूकता लाये जाने से संबंधित उपाय किये जाकर पर्यावरण संघात को नगण्य किया जा सकता है।

इस के अतिरिक्त अन्य उपाय-

- खनन गतिविधिया मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में बनाये गये इन नियम अधिनियम के अंतर्गत किया जाना चाहिए जो कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996, म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार) नियम 2019, सरटेनेबल रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश 2020, के मुद्दे यह सुनिश्चित करते हैं कि खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति बनाए रखें।
- पर्यावरण पर खनन गतिविधि के प्रभाव को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1974 और वायु जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1981 के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई शर्तों और शर्तों का पालन करके किसी भी पट्टेदार द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित विशिष्ट और मानक स्थिति का पालन कर के।
- खनन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि खनन गतिविधि का लैकल पर्यावरण पर प्रभाव कम हो सके।
- उन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण जहां क्रशिंग इकाइयां स्थापित हैं, पट्टा क्षेत्र और पहुंच सड़कों पर पानी के लगातार छिड़काव से कम किया जा सकता है। स्टोन क्रशिंग थूनिट में वाटर स्प्रिंकलर, विंड ब्रेकिंग वॉल, जीआई शीट-शेड लगाए जाने चाहिए।


Assessment & Monitoring Impact
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
Parvati Valley, Bhopal (M.P.)

- खदान क्षेत्रों में और उसके आसपास सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न कचरे को उचित रूप से डंप किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना चाहिए।
- वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को श्वसन यंत्र, एन-95 मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को इयर प्लग प्रदान किया जाना चाहिए।
- इस बात की बार-बार निगरानी की जानी चाहिए कि नदी के तल में रेत के खनन से नदी के पानी के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बदलाव नहीं आता है। यह जल संसाधन को बनाए रखने में मदद करता है।
- सभी मशीनरी सिस्टम उपकरण स्थापित एक अच्छी काम करने की स्थिति में होना चाहिए और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।
- खदान पट्टा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण में सुधार करने के लिए 10 मीटर की हरित पट्टी विकसित की जानी चाहिए।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुदान और अनुमतियों की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए।

21- खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)

यदि उचित उपाय नहीं किए जाते हैं, तो खनन कार्यों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खनन संचालन के परिणाम स्वरूप मूल भूमि प्रोफ़ाइल स्पष्ट रूप से बदल जाएगी और खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का परिमाण और महत्व उपलब्ध खनिजों के प्रकार, खनन और प्रसंरक्षण की विधि आदि पर निर्भर करता है।

खनन के बाद खनन की गई, भूमि का पुनर्बास सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पुनर्ग्रहण और भूमि के लिए खनन गतिविधि, खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए ताकि खनन सुधार किया जा सके।



 Madhya Pradesh Environment Authority (MPEA)

अधिकांश खदानों में लीज की अवधि समाप्त होने के बाद, खदानों का पुनर्ग्रहण अपरिशिष्ट चबूत्र या ओवर बर्डन को खदान में वापस भरकर किया जा सकता है, हालांकि खदान सुधार योजना में निम्नलिखित चरण होने चाहिए-

1. ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन का भंडारण और संरक्षण।
2. खनन के दौरान और उसके अंत में, खनन से प्रभावित भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव।
3. डम्पो का स्थिरीकरण।
4. खनिज पदार्थ के ढेर के लिए डंपिंग ग्राउंड तैयार करना।

22- जिले में स्वीकृत उत्क्रनिपट्टी क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)

जिला गुना में संचालित अनुदत्त पट्टों में पौधारोपण समग्र रूप से सुनिश्चित किया गया है। हरित पट्टी विकास किये जाने सम्बन्ध में उपागम प्राथमिकता रूप पर प्रक्रियारत हैं, जिसके अन्तर्गत वर्षा अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है।

वृक्ष, वायु प्रदूषकों का पता लगाने और उनकी निगरानी के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं, और इन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। वृक्षारोपण करके हम जैव-सौंदर्य शास्त्र के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका शमन भी कर सकते हैं। प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषित कर्णों को रोकने वाले पेड़, और प्रदूषण को सहन करने वाले पेड़ और उनके प्रकारों पर उचित योजना और वृक्षारोपण निर्भर करता है।


पेड़ पौधे सदैव हरे भरे, पड़े पत्ते वाले, साथ ही खुरदुरे तने वाले और पर्यावरण के साथ पारिस्थितिक तंत्र के साथ सक्षम होना चाहिए। ऐसे पेड़ लगाये जाना चाहिए जो कि कम पानी का उपयोग करते हो, कम देखभाल वाले, प्रदूषण को शोसित करने में सक्षम, प्रदूषण राकर्ने वाले, पर्यावरण के अनुकूल, तेजी से बढ़ने वाले, और तेज हवा में न टूटने वाले होने चाहिए। पेड़ों की प्रजातिया मिट्टी, स्थालाकृति, जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए।

कम से कम दो पंक्तियों का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण के रूप हो ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके।

वृक्षारोपण और हरित पट्टी विकास के लिये वृक्षों व प्रजातियों की जानकारी-

S. No.	Botanical Name	Family	Common Name
1.	Tamarindus indica (Linn)	Caesalpiniaceae	Imli
2.	Anogeissus pendula	Combrataceae	Kardhai
3.	siras Albizia lebbek	Leguminosae (Mimoseae)	Kala
4.	Azadirachta indica	Meliaceae	Neem
5.	Butea monosperma	Leguminosea (papilionaceae)	Palas
6.	Ficus infectoria	Moraceae	Pakar
7.	Stereospermum suaveolens	Bignoniaceae	Padar
8.	Salmalia malabarica, Bombaxcieba	Malvaceae	Semal
9.	Madhuca indica	Sapotaceae	Mahua
10.	Delbergia latifolia, Roxb	Leguminosae (Papilionaceae)	Shisham
11.	Lannea coromandalica	Anacardiaceae	Kankar
12.	Diospyros melanoxecon	Ebenaceae	Tendu
13.	Anogeissus latifolia	Combretaceae	Dhavda
14.	Zizyphus jujube	Rhamnaceae	Ber
15.	Cassia fistula	Leguminosae (Caesalpiniaceae)	Amaltash
16.	Syzygium cuimini	Myrataceae	Jamun
17.	Acacia karoo	Fabaceae	Keekar
18.	Buchanania lanza (spreg)	Anacardiaceae	Achar
19.	Mangifera indica (Linn)	Anacardiaceae	Aam
20.	Emblica officinalis	Euphorbiaceae	Awla

प्रतावित परियोजना, बैरियर जोन के बिना मायनिंग वाले क्षेत्रों में, एपरोच रोड, नदी किनारों के आसपास वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।




Land Level Survey Department
Assessment Authority, M.P.
(E.R.C.)

Parvavarun Pariser
-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



State-Level Environment Impact
Assessment Committee (SLEIAC), P.
(EP(एपी))
Parvatiya Kisan Parishad
E-mail: ep@parvatiyakisanparishad.org.in





जिला सर्वेक्षण बिपोट
Assessment Authority, M.P.

लाला परिसर
लाला, रायगढ़, शोपहर (M.P.)

23- जिले में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)

ओपन कार्ट विधि में धूल मुख्य प्रदूषक है। खनिज साइट पर, उत्पन्न और लोडिंग गतिविधि के दौरान, उत्पन्न धूल श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ओपन कार्ट माइनिंग के कारण उत्पन्न व्यावसायिक खतरे मुख्य रूप से भौतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं।

संभावित शारीरिक खतरे, इस प्रकार हैं -

खनन कार्यों के कारण होने वाले शारीरिक जोखिम में निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी खतरों की पहचान की गई -

प्रकाश - श्रमिकों को खराब रोशनी या अत्यधिक चमक के जोखिम से अवगत कराया जा सकता है।

प्रभाव - आँखों में खिंचाव, सिरदर्द, आँखों में दर्द और लैक्रिमेशन, कर्निया के आसपास जमाव और आँखों की थकान। वर्तमान समय में, खनन गतिविधि केवल दिन के समय की जाती है।

गर्मी और आर्द्धता - सबसे आम शारीरिक खतरा गर्मी है। गर्मी का सीधा असर शरीर पर पड़ता है, शरीर में जलन, थकावट, हीट स्ट्रोक और हीट क्रैम्प्स शामिल हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं- दक्षता में कमी, थकान में वृद्धि और दुर्घटना दर में वृद्धि। गर्मी में, तापमान और हवा के तापमान में वृद्धि होने पर गर्म और आर्द्ध रिथ्ति का सामना करना पड़ता है। नदी तल खनन क्षेत्र में गर्मी में तापमान 46 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक तक हो सकता है।

आँखों में जलन - गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण उड़ने वाली धूल-मिही से आँखों में खूजली और आँखों में पानी आने की समस्या हो सकती है।

श्वसन संबंधी समस्याएं - हवा में बड़ी मात्रा में धूल स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकती है। जिस से श्वसन संबंधी विकार जैसे- अस्थमा व फेफड़ों और ब्रोन्कियल मार्ग में जलन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

शोर प्रेरित बहरापन - खदान में धवनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत मशीनरी है, जिस से बहरेपन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

24- जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Management)

खनन कार्यों में संभावित जोखिमों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

जोखिम पहचान और जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, भंडारण और संचालन, मानवीय त्रुटियों, बिजली की विफलता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना के संचालन से जुड़े विभिन्न प्रकार के खतरों के बारे में चर्चा करती है। यह पहचाने गए संभावित खतरे के लिए विभिन्न दुर्घटना परिदृश्यों की गणना की आवृत्तियों को भी प्रस्तुत करता है। इनमें विनाशकारी घटनाएं या पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव और तकनीकी कारणों से उत्पन्न खतरे शामिल हैं। सामग्री के परिवहन के दौरान, ईंधन/हाइड्रोलिक तरल पदार्थ के प्रज्वलन से बढ़े वाहनों में आग लग जाती है।

संरचनात्मक विफलता :-

खदान में डंप, बैंच/पिट ढलानों की अस्थिरता, जो छोट और मृत्यु का कारण बन सकती है।

जोखिम के लिए परिकल्पित परिदृश्य :-

कार्य का ज्ञान - जोखिम मूल्यांकन कार्य के सभी पहलुओं की पूरी समझ पर निर्भर करता है। किसी विशेष कार्य के संबंध में जोखिम मूल्यांकन करने में, मूल्यांकन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण की समीक्षा शामिल होनी चाहिए।

व्यक्तिगत क्षमता - किसी भी जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कार्य में शामिल कर्मियों का ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण समीक्षा शामिल होना चाहिए। एक जानकार, अनुभवी अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति दुर्घटनाओं के कम जोखिम पर होगा।

समन्वय - यह आवश्यक है कि समन्वयक, यह सुनिश्चित करे कि कार्य में लगे सभी लोग सक्षम हों और दूसरों की भूमिका और एक-दूसरे के प्रति उनकी जिम्मेदारी को समझें।

खतरों की पहचान :-

तकनीकी खतरे - इस दस्तावेज़ के प्रयोजनों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी खतरों की व्याख्या हानिकारक धूल, गैसों और शोर के रूप में की जानी चाहिए, जो सतही खनन कार्यों के दौरान उत्सर्जित होती है। खनन कार्यों में शामिल अन्य खतरनाक कार्य जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित हैं।

शोर - खदान के वातावरण में शोर को एक सामान्य व्यावसायिक खतरा माना जाता है। लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से श्रवण तंत्रिकाओं और इसके संवेदी घटकों (शोर प्रेरित बहरापन) को स्थायी नुकसान हो सकता है। शोर प्रेरित श्रवण हानि (एनआईएचएल) से बचने के लिए, इन मशीनों के केबिनों को ध्वनिरोधी बनाया जाए। साथ ही, उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में काम करने वाले आपरेटरों और अन्य श्रमिकों को उनकी सुरक्षा के लिए इयर प्लग/इयर मफ प्रदान किए जाए। किसी भी कर्मचारी को उचित सुरक्षा उपकरण पहने बिना, उच्च शोर उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए।

सतह की आग - रेड ऑकर डिपाजिट में कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते हैं। हालांकि कोयला खदानों में लगे डंपरों में आग लग सकती है। अग्निरोधक पात्र को छोड़कर किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जाए। चार माह से अधिक समय तक रखे कोयले में रुक्तः ज्वलन किया होने लगती है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ पर या उसके पास कोई प्रकाश या दीपक नहीं रखेगा और न ही उसे फेंकने देगा। एमएमआर 1961 के विनियम 121 के अनुसार खदान के हर प्रवेश द्वार पर या हर जगह जहां ज्वलनशील सामग्री जमा है, रेत या ज्वलनशील धूल या पर्याप्त पोर्टेबल अग्निशामक की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाए।

लोडिंग - खनिज का समस्त लदान, लोडर/उत्खनन के द्वारा किया जायेगा। हालांकि, श्रमिकों को लोडिंग कार्यों से दूर रखने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्तियों पर सामग्री गिरने से बचा जा सके। इसके अलावा, लोडिंग मशीन आपरेटर को ठीक से मार्गदर्शन करने के लिए साइट पर्यवेक्षक द्वारा लोडिंग संचालन की निगरानी की जाती है।

गहू ढान विफलता - बैंच की विफलता से बचने के लिए खान बैंचों के किनारों को उपयुक्त रूप से ढाला जाएगा। बैंच की ऊँचाई से अधिक चौड़ाई के साथ 6 मीटर ऊँचाई रखने की योजना है। बैंच के किनारों और किनारों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ताकि विफलता, दरारों के विकास आदि के किसी भी लक्षण के लिए निरीक्षण किया जा सके। किसी भी बैंच या गहू ढान की विफलता से बचने के लिए उचित एहतियाती उपाय अपनाए जाएंगे।

भारी वाहन - खनिज और ओवरबर्डन के लदान और परिवहन में उचित सावधानी बरती जाएगी। ब्रेक फेल होने की संभावना को कम करने के लिए अच्छा रखरखाव और नियमित परीक्षण आवश्यक है। एक क्षेत्र को एक परीक्षण क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां वाहन ब्रेकिंग सिस्टम की प्रभावशीलता पर नियमित परीक्षण किए जाते हैं।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीई) - व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है।

यातायात - चूंकि उपयोग किए जाने वाले वाहन संख्या में बहुत कम हैं, इसलिए यातायात की आवाजाही के कारण दुर्घटनाओं का कोई खतरा नहीं है। तथापि, ढुलाई सड़कों का उचित रखरखाव किया जाएगा और दुर्घटनाओं से बचने के लिए खनिज परिवहन के लिए चलने वाले वाहनों पर गति सीमा निहित होगी।

आपदा प्रबंधन योजना - पूर्ण खनन कार्य प्रबंधन नियंत्रण एवं योग्य खान प्रबंधक के निर्देशन में किया जायेगा। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद ने खान प्रबंधन द्वारा पालन किए जाने वाले कई स्थायी आदेश, और परिपत्र जारी किए हैं। खदान के गहू में सतही जल के किसी भी प्रवाह से बचने के लिए नालियों और मिट्टी के बांधों की जाँच और नियमित रखरखाव। खनन पिट से पानी निकालने के लिए पम्पों की व्यवस्था। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

खान कार्यालय परिसर एवं खनन क्षेत्र में अग्निशमन एवं प्राथमिक उपचार का प्रावधान रखा जायेगा। सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हेलमेट, काले चश्मे आदि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे और उनके उपयोग की नियमित जांच की जाएगी। स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खदान में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण। चेहरों की नियमित सफाई। निर्माण के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी खनन उपकरणों का

नियमित रखरखाव और परीक्षण। छुलाई सड़कों पर धूल का दमन। प्रतियोगिताओं, पोर्टरों और इसी तरह के अन्य अभियान के माध्यम से सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

संचार प्रणाली - विभाग प्रमुख और उनकी लाइन आफ कमांड के लिए एक आंतरिक संचार प्रणाली को बनाए रखा जाना चाहिए। बचाव स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन सेवा स्टेशन, स्थानीय अस्पताल, बिजली आपूर्ति एजेंसी और स्थायी सलाहकार समिति के सदस्यों के टेलीफोन नंबर और पते होना एक और आवश्यक पहलू है।

सलाहकार समिति - खान प्रबंधक की अध्यक्षता में एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।

प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं - खदान प्रबंधन के पास आपात रिथिति में उपयोग के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा है। सभी हताहतों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा।

जनसंपर्क समूह के कार्य - सरकारी अधिकारियों और अन्य समाज सेवा संगठन के साथ सौहार्द पूर्ण संबंध बनाए रखा जाएगा। किसी भी आपदा से उत्पन्न दहशत, तनाव, भावनाओं, शिकायतों और आशंकाओं की रिथिति को सुधारने के लिए खनिकों के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क करना।

अस्थायी बंद के दौरान देखभाल और रखरखाव - खदान को अस्थायी रूप से बंद करने के दौरान किसी भी कारण से, नोटिस (एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 एमएमआर, 1961 के नियम 6 के अनुसार) आईबीएम और खान सुरक्षा अधिकारियों को भेजा जाएगा। सूचना के साथ एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 के अनुसार प्रपत्र संख्या डी-1 संलग्न किया जाएगा। देखभाल और रखरखाव के संबंध में सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।

निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे।

गह्नों का संरक्षण - डीजीएमएस के परिपत्र के अनुसार पहुँचे के खदान वाले हिस्से को स्थानीय भाषा में खतरे को प्रदर्शित करने वाले चेतावनी बोर्ड के साथ खुले गह्ने के चारों ओर फैसिंग द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

क्षेत्र की सुरक्षा - स्थानीय भाषा में बिना अनुमति के परिसर में 'प्रवेश सख्त वर्जित है' शीर्षक के साथ प्रवेश पर एक बोर्ड प्रदर्शित करके क्षेत्र की रक्षा की जाएगी।

रखरखाव और निगरानी - सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह क्षेत्र की निगरानी की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो आवश्यकतानुसार रखरखाव किया जाएगा। सभी खनन मशीनरी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किए गए वृक्षारोपण की देखभाल और रखरखाव नियमित आधार पर किया जाएगा। खदान के किसी भी अस्थायी रूप से बंद होने की रिथति में सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा।

आपात योजना - खदान में कहीं भी कुछ भी गंभीर होने का पता चलने पर, फोरमैन या साथी तुरंत निकटतम खनन अधिकारी और प्रबंधक को सूचित करेंगे। आपात रिथति की सूचना मिलने पर शिफ्ट प्रभारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि आपात रिथति से निपटने के लिए सभी सामग्री और परिवहन व्यवस्था को तैयार रखा जाए। प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं को तैयार रखा जाना चाहिए। डीजीएमएस द्वारा निर्धारित विनियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

काम करने वाले क्षेत्र का वैचारिक पुनर्वास - डंपिंग सामग्री के साथ अधिकतम संभव गहराई तक पहुँचने के बाद यानी सतह से अनुमेय गहराई और शेष क्षेत्र को जल भंडारण के रूप में विकसित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए अंतिम गह्नों के चारों ओर पर्याप्त रूप से मोटी बांध की दीवार का निर्माण किया जाएगा। बांध के चारों ओर पौधरोपण किया जाएगा। इस प्रकार, संकल्पनात्मक स्तर पर उत्पन्न सभी कचरे को तैयार किए गए गह्ने में पूरी तरह से वापस भर दिया जाएगा।

आपदा प्रबंधन योजना की रूपरेखा - आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य खनन गतिविधि के दौरान अप्रत्याशित, अचानक हुई घटना के कारण खनन कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए सामान्य रिथति बहाल करना है, जिससे श्रमिकों या किसी मशीनरी या

पर्यावरण को गंभीर खतरा हो सकता है। इनन परियोजना में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं।

- खदान में काम करने वालों को दुर्घटना से बचाने के लिए।
- इनन कार्यों के दौरान चोट की घटनाओं और गंभीरता को रोकने या कम करने के लिए।
- गंभीर दुर्घटना की स्थिति में तुरंत और पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देना।

किसी भी प्रकार की आपदा चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, जीवन की अत्यधिक हानि का कारण बनती है, और संपत्ति और आसपास के वातावरण को भी इस हद तक नुकसान पहुंचाती है कि, समाज के लिए उपलब्ध सामान्य सामाजिक और आर्थिक तंत्र गड़बड़ा जाता है। भारत सरकार ने देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर आपदाओं के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय, व्यापक और निरंतर दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचाना और आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम 2005 के साथ सामने आया।

मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) का यह भी मानना है कि, हर जिले में एक आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता है जो राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए अपनी दृष्टि और रणनीति को स्पष्ट करे। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमपीएसडीएमए) राज्य में आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके अलावा, डीएम अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और यह जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) की तैयारी, कामकाज और समीक्षा के लिए नोडल एजेंसी होगी। जिला आपदा प्रबंधन योजना का दायरा बहुत व्यापक है, और यह आपदाओं के सभी चरणों (पहले, दौरान, बाद और गैर आपदा समय) में लागू होता है। डीडीएमपी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिकारियों की मदद कर सकते हैं और आपात स्थिति में सीधे अधीनस्थों को मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं।

यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे जिला आपदा प्रबंधन योजना और संबद्ध कार्यों की समीक्षा सहित आपदा प्रबंधन से संबंधित जिला

और उप जिला स्तरीय संस्थागत गतिविधियों को देखें। यह सभी हितधारकों के लिए और उनकी तैयारी के स्तर का अध्ययन करने के लिए एक चेकलिस्ट भी सुनिश्चित करता है।

योजना का उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक प्रणालियों, संरचनाओं, कार्यक्रमों, संसाधनों, क्षमताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थापित करना और संबंधित जिले में आपदाओं और आपदाओं के खतरों से बचने की तैयारी करना। आपदा चरण के दौरान गतिविधियों में त्वरित प्रतिक्रिया, राहत, खोज और बचाव को जुटाना, क्षति का आकलन शामिल है। आपदा चरण के बाद गतिविधियों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।

३० ♦ ३१



State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)
Paryavaran Parishar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)




Final

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

जिला- गुना (2021-22)

(रेत खनिज को छोड़कर)(संशोधित)


खनिज- पत्थर क्रेशर (यांत्रिकी क्रिया द्वारा गिर्दी निर्माण)



As Per Notification No. S.O. 141(E), 15th January, 2016, S611(E), 25th July 2018, New Delhi, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF & CC), Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020

प्रस्तुतकर्ता

श्रीमती पूजा वानखेडे
खनि निरीक्षक
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला- गुना (म.प्र.)



कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना (ग.प्र.)

क्रमांक/3-6/खनिज/2022/120

गुना, दिनांक 16/11/2022.

प्रति,

सदस्य सचिव,
SEAC (सेक), ग.प्र. प्रदूषण वियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेसा कालोधी,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) रेत के अतिरिक्त गिर्दटी एवं मुरम खनिज के संबंध में।

रांदर्भ :- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.22

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र जों दिये गये गिर्दटों के अवृक्षग नं
कार्यालयीन आदेश क्र. /3-6/खनिज/2022/373 गुना, दिनांक 24.03.2022 द्वारा सरदेशेवल
सेक माइनिंग मैनेजमेंट ग्राहकलाइन 2016 एवं हनफोर्समेंट मॉनिटरिंग फार गाइंग 2020 हें
अंतर्गत गुना जिले में स्थित खनिजों हेतु प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तेलार करने हेतु उपरागाग
स्तरीय समिति (सब डिविजनल कमेटी) का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा अवृमोदित
प्रारूप, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जनरागाव्य के सुझाव हेतु गुना जिले के 80 गोर्हा द्वारा
दिवस के लिए, दिनांक 29.07.2022 को वेवसाइंड पर अपलोड कराया गया था जिस पर
कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये थे। उसके उपरांत रेत के अतिरिक्त अन्य गौण खनिज मुरम
एवं गिर्दटी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक (SEAC) की टिप्पणी के उपरांत पुनः संशोधन कर
सेक (SEAC) में प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अन्य गौण खनिज गिर्दटी एवं मुरम की संशोधित जिला सदेशण रिपोर्ट पुनः
अधिग्रहण कार्यवाही हेतु सॉफ्ट कॉपी (पी.डी.एफ.) में पत्र के साथ संलग्न कर आवकी अदेश द्वारा
प्रेषित है।

संलग्न :- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-

अन्य गौण खनिज गिर्दटी एवं मुरम
की सॉफ्ट कॉपी (पी.डी.एफ.)

पृ.क्रमांक/3-6/खनिज/2022/120।

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, सिया सचिवालय पर्यावरण भवन, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. रांचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए खनिज भवन अरेसा हिल्स भोपाल की ओर पत्र
क्र. 2981 दिनांक 03.03.2022 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी खनिज अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-गुना (म.प्र.)
गुना, दिनांक 16/11/2022.

प्रभारी खनिज अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-गुना (म.प्र.)



राज्य स्तरीय पर्यावरण सम्बन्ध निरीक्षण प्राप्तिकरण, म.प्र.

(प्राप्तिकरण का एक अवलोकन प्राप्तिकरण भारत सरकार)

प्राप्तिकरण निरीक्षन का सम्बन्ध संगठन
प्राप्तिकरण परिषद, कृ-क, अरेचा हालीनी
भोपाल-462010 (म.प्र.)

वेबसाईट - <http://www.mpselaa.nic.in>
फ़ोन नं. - 0755-2466970, 2466869
फ़ैक्ट नं. - 0755-2462130

No. 1620 / SEIAA/2021
Date: 11.8.2021

पर्यावरण

संचालक
गोपेश्वरी ताणा छानकमंडल
29 ए, खनिज भवन,
अरेचा हिल्स, जील रोड, भोपाल (म.प्र.)

प्रियजन: नवीन जिला संवेदन सिपोर्ट (OSR) तैयार करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन भंगालय भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 एवं 25.07.2018 के अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर नवीन जिला संवेदन सिपोर्ट तैयार करने द्वारा निर्दिष्ट किया गया था, जिस अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक 05 वर्ष में अद्यतन (Update) किया जाना है।

उक्त संबंध में प्रत्येक जिले के खनिज अधिकारी यो निर्दिष्ट किया जाये कि MP SEIAA में प्रस्तुत किये जाने वाले पूर्व पर्यावरण रीकृति को जिलेगार खनन प्रकरणों के आवेदनों के साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा संलग्न किये जा रहे परियोजना प्रस्ताव यो नवीन प्रस्तावित जिला संवेदन सिपोर्ट (OSR) में अनिवार्यतः सम्भिलित करे।

साथ ही संवेदित जिले के खनिज अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावकों को यह भी प्राप्ति-पत्र प्रदान करें कि वर्ष 2016-17 के उपरात स्तीकृत खदानों यो नवीन प्रस्तावित जिला संवेदन सिपोर्ट में अनिवार्यतः सम्भिलित किया जायेगा। इसके उपरांत ही SEIAA द्वारा पर्यावरणीय रीकृति देत् प्राप्त आदेदन नान्य किए जायेंगे।

श्रीगन्धि शुभला
सदस्य लिपि

पृष्ठ. 1621 /SEIAA/2021
प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, भंगालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनाथे।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. खनिज विकास निगम, पर्यावरण भवन, अरेचा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को ओर सूचनाथे।

राज्य सचिव

Mr. S. G. Shubhal
Secretary, Ministry of Environment
and Forests
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

(1161)

राज्यालय

भौमिकी तथा खनिकारी विभाग

29-ए. 'खनिज भवन' अरेशा बिल्डिंग, भोपाल

फोन एवं फैक्स 0751-2404747 लॉटर

E-mail - epco@mpstate.gov.in, प.र.

स्थान का नाम 17.0

दिनांक दिनांक 08/04/2022

क्रमांक 1760 / भौमिकी / न.क्र.

/ 2022

प्रति

फलेश्वर

ज़िला - नरसिंहपुर, छिपड़ीशी, गुजार, शहडोल एवं मालिगढ़ (मोर्चा)

अधीक्षण



शायदि 11 APR 2022

दिनांक

विषय - ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार

संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 03.03.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के गगरत ज़िलों की ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट स्लेटेज़बल ऐप्पल मैनेज़मेंट गाईड लाईन 2016 एवं इनफोर्मेट फोर सेण्ट माईनिंग 2020 की लाईड लाईन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सिविल क्रमांक 3661-3662/2020 (बिहार राज्य एवं अन्य विस्तृद्वारा पद्धन कुमार एवं अन्य) के अनुसार प्रत्येक ज़िले की ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट गठित कर्मठी द्वारा तैयार किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि गठित कर्मठी द्वारा ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करवाकर 21 दिवस हेतु ज़िला पोर्टल पर आनुज्ञा के दावे/आपस्ति हेतु प्रदर्शित करें, तत्पश्चात उक्त रिपोर्ट को सर्वेक्षित समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात सिएक को प्रेपित करने का काट करें।

१२/५/२२
कार्यालय प्रमुख

पृ. क्रमांक / भौमिकी / न.क्र. / 2022

भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. रागांग आयुक्त, संभाग की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा) ज़िला समर्त की ओर लेख है कि उपरोक्त निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा तत्काल सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्रमुख


STATE LEVEL DEVELOPMENT IMPACT
Assessment Authority, M.P.
(EPCC)
Parivarayan Pariser
- Arera Colony, Bhopal (M.P.)

106

कार्यालय
संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश

२९-ए, "खातिज भवन", अरेरा हिंसा, भोपाल
फोन एवं फैसला : ०७५६-२५५१४९३
E-mail : dirgeo@mpnic.in

ग्रन्थांक २७८। खनिज/विविध/न.क्र. ४४३२२२, ग्रन्थांक ०३।३।२२
पति, समस्त कलेक्टर
(खनि शाखा)
मध्यप्रदेश



विषय : सरटेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गार्डलाईन 2016 एवं इनफोर्मेंट गानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के अंतर्गत रेत खनिज हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध में।

प्रत्येक जिले में सरटेनेबल रोण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गार्डलाईन 2016 एवं इनफोर्मेंट गानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 गार्डलाईन के तहत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार की जाती है। जिले की डीएसआर तैयार किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। ग्रामीण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सियिल अपील क्रमांक ३६६१-३६६२/२०२० बिहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध पवन कुमार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक १०.११.२०२१ के अनुसार एवं सरटेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गार्डलाईन 2016 एवं इनफोर्मेंट गानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के पालन में प्रारूप डीएसआर निम्न संगति द्वारा तैयार की जाती है :-

1. अनुषिभागीय अधिकारी (राजरह)
2. जल संरक्षण विभाग के अधिकारी
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नामांकित अधिकारी
4. यन विभाग के अधिकारी
5. जिले के खनि अधिकारी/संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पदरथ अधिकारी

उपरोक्तानुसार तैयार प्रारूप डीएसआर को जिला कलेक्टर द्वारा सिएक (SEAC) को अन्वेषित की जायेगी। सिएक (SEAC) द्वारा इसे सिया (SEIAA) को प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

*Aman
MC 2
putabodh
03/22
03/22
22
9.3.2022*

2/1
(राकेश कुमार
भा.प्र.से.
संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म))

पृ.क्रमांक 2982-86

खनिज/विविध/न.क्र.

/2022

भोपाल, दिनांक 03/3/22

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की ओर।
2. प्रमुख राज्यसभा अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन, यन विभाग, पर्यावरण विभाग की ओर रूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी भोपाल।
4. खनि अधिकारी जिला मध्यप्रदेश की ओर संचालनालय द्वारा डीएसआर तैयार किये जाने हेतु नियुक्त एजेंसी द्वारा यदि प्रारूप डीएसआर तैयार किया जा चुका है तब इस प्रारूप डीएसआर का परीक्षण उपरोक्तानुसार गठित समिति से कराया जाये। समिति द्वारा प्रारूप का अनुमोदन कर जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रकार तैयार प्रारूप का अनुमोदन कर जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा।
5. प्रभारी अधिकारी, भौमिकी शाखा, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर पालनार्थ।

संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

State Level Committee - 2022
Assessment Authority, M.P.

(EPC)

Paryavaran Parishad
E-5, Alera Colony, Bhopal (M.P.)

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट समिति गुना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिविल अपील क्रमांक
3661-3661/2020 खिलार राज्य एवं अन्य विलक्ष्य पवन कुमार एवं आव्य) के पारित
आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुसार एवं सरटेनेबल सेण्ड माइनिंग मैनेजमेंट
गाईडलाइन 2016 एवं हनफोर्मेट मानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के पालन में
संघालक महोदय भौमिकी तथा अनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/
2981/2982-86 भोपाल दिनांक 03.03.2022 तथा कलेयटर महोदय जिला गुना के
आदेश क्र. 689-690 गुना, दिनांक 17.06.2022 के पालन में प्रारूप जिला सर्वेक्षण
रिपोर्ट (District Survey Report) निम्न समिति द्वारा तैयार कर अनुगोदित की गई है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री एस.के. जैन	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग जिला गुना (म.प्र.)	(एस.के.जैन) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग गुना (म.प्र.)
2	श्री गीरेन्द्र रिंग बघेल	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्थ-गुना, जिला गुना (म.प्र.)	(गीरेन्द्र बघेल)
3	श्री आर.सी. ढामोर	उप वन मण्डल अधिकारी, जिला गुना (म.प्र.)	(आर.सी.ढामोर)
4	श्री सुधान्धु तिवारी	जिला पर्यावरण अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना (म.प्र.)	(सुधान्धु तिवारी) जिला पर्यावरण अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड गोल विज्ञप्ति, जिला गुना (म.प्र.) विनम्र संख्या 078112
5	श्री आर.के. पाण्डेय	खनि अधिकारी जिला-गुना (म.प्र.)	(आर.के.पाण्डेय)
6	श्री दीपक सक्सेना	खनि निरीक्षक गुना	(दीपक सक्सेना)
7	श्रीमती पूजा वानखेडे	खनि निरीक्षक गुना (प्रस्तुतकर्ता)	(पूजा वानखेडे) 26/07/2022 खनि निरीक्षक जिला-गुना (म.प्र.)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2827।

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 3, 1940

No. 2827।

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/SHRAVANA 3, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.आ. 3611(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा पूर्व पर्यावरण निकारी के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उक्त अधिसूचना को का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित किया है, जिसमें गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने वी प्रक्रिया को विहित किया गया है;

और रांची स्थित माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने 2015 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1806, स्वप्रेरणा वनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (पीआईएल) सं. 2013 की 290, हेमत बुमार शिल्कारवर वनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में, अन्य वातों के साथ, तारीख 11 अप्रैल, 2018 और 19 जून, 2018 के आदेश में वालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने या वालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए राज्य सरकार और/या जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण और जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को निदेश दिया है;


और केंद्रीय सरकार लोक हित में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिसुक्ति प्रदान करती है;

और केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात् :-

अनुक्रमाणिका

(Table of Contents)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
0 1 .	प्रस्तावना (Introduction)	1
0 2 .	जिला गुना में खनन कार्यकलापो का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Guna)	7
0 3 .	गुना जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Guna District)	8
0 4 .	जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)	9
0 5 .	जिले में भू-उपयोग आवरण का रूपरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)	12
0 6 .	जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface water & Ground water Scenario in the District)	18
0 7 .	जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Detail of Rainfall and Climate Condition of the District)	23
0 8 .	प्रदत्त प्रारूप अनुसार जिले में खनन पट्टो का व्यौरा (Detail of the Mining leases in the District as per the Following Format)	24
0 9 .	विगत तीन वर्षो के राजस्व का व्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)	41
1 0 .	विगत तीन वर्षो के उत्पादन का व्यौरा (Production Details of Last Three Years)	41
1 1 .	जिला गुना का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Guna)	42


 State Level
 Resource Assessment Authority, M.P.
 (R.L.R.A.A.M.P.)

परिवर्तन अधिकारी
R.L.R.A.A.M.P.

परिवर्तन अधिकारी
R.L.R.A.A.M.P.

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
12.	जिले में उपलब्ध कुल खनिज भण्डार (Total Mineral Reserve Available in the District)	43
13.	जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड (Quality/Grade of Mineral Available in the District)	43
14.	जिले में उपलब्ध खनिजों का उपयोग (Uses of Available Minerals in the District)	43
15.	जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान खनिज की मांग एवं पूर्ति (Demand & Supply of Minerals in the District During the Last Three Years)	43
16.	जिले के मानचित्र पर चिन्हांकित खनिज पट्टे (Mining Leases Marked on the Map of District)	44
17.	जिले में गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों का व्यौरा (Details of Minor Mineral Proposed Mines in the District)	45
18.	गुना जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृति शीर्ष एवं ढलान का रूपरूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the District Guna)	48
19.	पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शेर, मिट्टी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)	52
20.	पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)	53
21.	खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)	54

(Signature)
State Level Environment Impact

Assessment Authority, M.P.

(EPCO)

Parvavaran Parivar

E-5, Area 8 Colony, Bhopal (M.P.)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
22.	जिले में स्वीकृत उत्थनिपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)	55
23.	जिले में व्यावसायिक स्वारथ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)	64
24.	जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Management)	65

List of Maps

Nos.	Maps
1.	<i>Location Map</i>
2.	<i>Toposheet Map</i>
3.	<i>Satellite Map</i>
4.	<i>Base Map</i>
5.	<i>Geological & Mineral Map of Madhya Pradesh</i>
6.	<i>Tehsil Map</i>
7.	<i>Geological Map</i>
8.	<i>Land Use/Land Cover Pattern Map</i>
9.	<i>Forest Map</i>
10.	<i>Soil Map of Madhya Pradesh</i>
11.	<i>Soil Map</i>
12.	<i>Seismic Zone Map</i>
13.	<i>Drainage Map</i>
14.	<i>Water Resources Map</i>
15.	<i>Ground Water Potential Zone Map</i>
16.	<i>Watershed Map</i>
17.	<i>Basin Map</i>
18.	<i>District Resource Map</i>
19.	<i>Existing Crushers Quarry Lease Map</i>
20.	<i>Geomorphological Map</i>
21.	<i>Physiographical Map</i>
22.	<i>Digital Elevation Model (DEM)</i>
23.	<i>Slope Map</i>



State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPA)
Parivaran Parishad
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


01- प्रस्तावना (Introduction)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2018 को जारी अधिसूचना अनुसार गौण खनिज रेत एवं अन्य गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पृथक-पृथक तैयार किये जाने के प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं, जिसके अनुक्रम में शासन स्तर से प्राप्त अद्यतन निर्देश अनुसार जिला गुना की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तावना उपबिन्दु से शुरू होकर प्रस्तावित प्रारूप अनुसार अग्रांकित रूप से तैयार की है। यह एक मार्गदर्शी दस्तावेज है, जिससे जिले की खनिज संपदाओं की उपलब्धता एवं उनकी अवस्थिति संबंधित सूचनाओं का संकलन है।

खनिज की उपलब्धता एवं आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन प्लान में चाहे गये खनिज के दोहन हेतु अपनी यह अनुशंसा जारी कर सकेगी कि प्रस्तुत अवस्थिति पर खनिज की उपलब्धता है एवं जारी की जाने वाली सम्मति हेतु उपर्युक्त परिस्थितियां खनन स्थल पर हैं, साथ ही पर्यावरण से संबंधित यह आंकलन भी इस आधार पर संभव हो सकेगा कि पट्टाधारी को पर्यावरण सम्मति प्रदान की जावे अथवा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन में कुछ आवश्यक सुधार पश्चात सम्मति प्रदाय हेतु अनुमोदन किया जावे।

मध्यप्रदेश राज्य में जिला गुना की स्थिति


LOCATION MAP OF DISTRICT GUNA



गुना, प्राचीन अवंती साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी स्थापना प्रद्योत राजवंश के 'चण्ड प्रद्योत महासेना' ने की थी, बाद में शिशु संघ ने अवंत के राज्य को जोड़ा, जिसमें


गुना को मगध के बढ़ते साम्राज्य में शामिल किया गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, गुना को मराठा राजा श्री रामोजी राव सिंधिया ने जीत लिया और गुना, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद तक ग्वालियर राज्य का हिस्सा बना रहा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 28 मई 1948 को गुना मध्यप्रांत राज्य का हिस्सा बना, 01 नवंबर 1956 को मध्यप्रदेश की स्थापना होने पर गुना जिला मध्यप्रदेश में शामिल हो गया। गुना जिले को मालवा व चंबल का प्रवेश द्वारा कहा जाता है। गुना जिले का वर्तमान प्रशासनिक मुख्यालय गुना, जिला मुख्यालय है। गुना शहर 05 नवंबर 1922 में स्थापित हुआ था। 19वीं सदी के पूर्व गुना, ईसागढ़ (अब जिला अशोकनगर में स्थित) जिले का एक छोटा सा गाँव था।

जिला गुना- अध्ययन क्षेत्र



जिला गुना भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट संख्या 54 C/16, D/13, D/14, D/15, D/16, G/4, G/8, H/1, H/2, H/3, H/4, H/5, H/6, H/7, H/8, H/9, H/10 एवं H/11 तथा 55 E/1 एवं E/5 के अंतर्गत विद्यमान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई 474 मीटर (1555 फीट) है। जिला गुना $23^{\circ}50'00"N - 25^{\circ}10'00"N$ व $76^{\circ}50'00"E - 77^{\circ}40'00"E$, अक्षांतरों देशांतरों के मध्य स्थित है।


जिला गुना का उपग्रह चित्रण



Satellite Images, अंतरिक्ष से मानव निर्मित उपग्रहों द्वारा बिना किसी Physical Object के उपयोग द्वारा पृथ्वी के वार्षिक चित्रण को दर्शाती है, उक्त उपग्रह चित्रण जिला गुना को दर्शा रहा है।

State Level
Assessment Authority, M.P.
[Signature]

Paryavaran Parishar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



जिला गुना मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है तथा इसका क्षेत्रफल 6,390 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है तथा जिले में कुल 07 तहसीले हैं जो कि- गुना, आरोन, राघोगढ़, मधुसूदनगढ़, बमोरी,

चांचौडा एवं कुंभराज तथा 05 ब्लॉक क्षेत्र जो कि- गुना, बमोरी, राघौगढ़, आरोन तथा चांचौडा है। यह जिला पूर्व दिशा में अशोकनगर, उत्तर में शिवपुरी व दक्षिण में राजगढ़, भोपाल, विदिशा और सागर, पश्चिम व उत्तर-पश्चिम में राजस्थान के कोटा, उत्तर-पश्चिम में राजस्थान के झालावाड एवं बॉरा जिले से परिसीमित है। 15 अगस्त 2003 को गुना जिले को दो भागों में विभाजित किया गया, जिस से पूर्वी भाग अशोकनगर जिला बन गया।

गुना जिले में 04 विधानसभा क्षेत्र- गुना, बमोरी, चांचौडा और राघौगढ़ स्थित है। गुना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्यप्रदेश के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। गुना जिले में स्थित राघौगढ़ एवं चांचौडा क्षेत्र राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में समावेशित है तथा वर्तमान में, गुना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गुना, बमोरी, अशोकनगर, चंदेरी, मुँगावली, शिवपुरी, पिछोर तथा कोलारस, गुना लोकसभा क्षेत्र में समावेशित है।

गुना जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-03 जिले के पश्चिमी भाग से गुजरता है। पश्चिम रेल्वे, बीना-कोटा तथा मकरी-रुठियाई खंड लाईन जिले के मध्य तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है। जिला गुना सभी प्रमुख स्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पक्के मार्गों से जुड़ा हुआ है।

जिला गुना ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुना जिले में प्रसिद्ध ‘बजरंगगढ़ का किला’ अवस्थित है, जिसका निर्माण सन् 1775 में मराठा शासकों द्वारा करवाया गया था तथा इस किले के अंदर तोपखाना, रंग महल, मोती महल, श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण मंदिर व हनुमान जी का मंदिर स्थित है। इसी प्रकार बजरंगगढ़ क्षेत्र में संगमरमर और शीशों से बने 700 वर्ष पुराने जैन सम्प्रदाय के तीर्थकर्ता भगवान श्री शांतिनाथ, श्री कुंथनाथ एवं श्री अर्हरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं। गुना जिले में प्रसिद्ध ‘राघौगढ़ का किला’ स्थित है, इस किले का निर्माण सन् 1673 में संभवतः चौहान खींची वंश के राजा ने करवाया था। गुना जिले में बीस भुजा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, इस मंदिर में दुर्गा माता की 20 हाथों वाली हथियार धारण किए हुए प्रतिमा स्थापित है, इसके बारे में पौराणिक किवंदती है कि माता के 20 हाथों के, जिस व्यक्ति को दर्शन होते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार जिले में अन्य धार्मिक स्थल जैसे- पंचमुखी हनुमान आश्रम, हनुमान टेकरी, हनुमान मंदिर कैंट, राम जानकी मंदिर, खैरोदा मंदिर एवं


कंकाली मंदिर बमौरी, क्राइस्ट द किंग चर्च, निहाल देवी माता मन्दिर सिरसी-महु रोड, अजित खो आश्रम, दुका श्री हनुमान मंदिर राघौगढ़, प्राचीन गादेर गुफा, चार धाम मंदिर जामनेर आदि प्रसिद्ध स्थल हैं।

गुना जिले में मध्यप्रदेश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केन्द्र स्थित है तथा जिले के भामावड़ गाँव में 'तेजाजी के मेले' का आयोजन किया जाता है, यह मेला तेजाजी की जंयती पर भाद्रपद शुक्ल दशमी पर आयोजित होता है, ऐसी मान्यता है कि तेजाजी के पास एक ऐसी शक्ति थी जो सॉप के काटने पर उसके जहर को खत्म कर देती है। गुना के विजयपुर से हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन यही से होकर गुजरती है। हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर भारत की पहली स्टेट गैस पाइपलाइन है। गुना के विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा संचालित चार इकाईयों में से एक यहाँ पर खाद की फैक्ट्री है। गुना के विजयपुर में गेल (गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) इंडिया की उत्पादन इकाई है। वर्ष 1984 में स्थापित गेल भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है।

गुना जिले में प्रसिद्ध कातिकिया नृत्य किया जाता है, यह नृत्य कार्तिक माह में किया जाता है। गुना के विजयपुर में भू-उपग्रह दूर संचार उपग्रह केन्द्र है। गुना जिले में धनिया का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है तथा यहाँ की तहसील कुंभराज स्थित मंडी, धनिया के लिए जानी जाती है। गुना जिले में गोपी कृष्ण सागर डैम स्थित है, जो कि पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। गुना जिले में सिंध और पार्वती नदी प्रवाहित होती है। पार्वती नदी राजस्थान और गुना जिले की सीमा बनाती है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर के बीच से होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पार्वती नदी के किनारे कुंभराज, आरोन और सुठालिया परियोजना के नाम से बांध बनाया जाना प्रस्तावित है।

म.प्र. की पाँचवी सबसे बड़ी जनजाति 'सहरिया' गुना जिले में निवास करती है। गुना जिले में हिन्दी भाषा तथा बुंदेली व सहरिया बोली जाती है। कृषि जिले का मुख्य व्यवसाय है। गुना जिले में मुख्य फसल के रूप में ज्वार का उत्पादन किया जाता है, इसके अलावा गेहूँ और चने की खेती भी होती है। पशुपालन में गाय और भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है तथा जिले में मधेशी पालन उद्योग के रूप में दूध उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है।

02- जिला गुना में खनन कार्यकलापो का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Guna)



जिला गुना- तहसीलवार अध्ययन क्षेत्र



जिला गुना में मुख्यतः गौण खनिज निक्षेप पाये जाते हैं जिसमें खनिज रेत, गिट्ठी निर्माण हेतु पत्थर, मिट्टी, मुरुम तथा फर्शीपत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।


*(EPCO)
Parivaran Parivar
Assessment Report 2016-17*

E-5, Areia Colony, Bhopal (M.P.)


03- गुना जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Guna District)

मध्यप्रदेश के गुना जिले की महत्वपूर्ण जानकारी

क्र.	जिले की जानकारी	जिले का तथ्य
1.	जिले का नाम	गुना
2.	गठन	01 नवंबर, 1956
3.	ब्लॉक	गुना, बमोरी, आरोन, राघौगढ़ तथा चांचौडा
4.	तहसीलें	गुना, बमोरी, चांचौडा, कुंभराज, राघौगढ़, आरोन, मक्खूदनगढ़
5.	पडोसी जिलों के साथ सीमा	राजगढ़, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी
6.	संभागीय कार्यालय	ग्वालियर
7.	जिले का क्षेत्रफल	6,390 वर्ग कि.मी.
8.	गाँव	1338
9.	भाषा	हिन्दी
10.	बोलियाँ	बुंदेली तथा सहरिया
11.	पुलिस स्टेशन	15
12.	जनसंख्या (2011)	12,41,519
13.	साक्षरता दर (2011)	63.23 प्रतिशत
14.	राज्यों के साथ सीमा	राजस्थान (झालावाड और बारां)
15.	भौगोलिक स्थिति	23°50'00"N - 25°10'00"N व 76°50'00"E - 77°40'00"E अक्षांश-देशांतर
16.	राष्ट्रीय राजमार्ग	एन.एच.-3
17.	मुख्य नदियाँ	पार्वती एवं सिंध
18.	विधानसभा सीट	गुना, बमोरी, चांचौडा, राघौगढ़
19.	लोकसभा सीट	गुना (गुना, बमोरी, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, शिवपुरी, पिछोर तथा कोलारस निर्वाचन क्षेत्र)
20.	समुद्र तल से औसत ऊँचाई	474 मीटर (1555 फीट)


 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPAO)
 Paryavaran Bhawan
 F.F. Akera Colony, Bhopal (M.P.)

04- जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)



Vindhyan Super Group के Rock Type, Upper Vindhyan Rock Types द्वारा दर्शित हैं, जिसके अंतर्गत Bhander Group के शैल प्रकार सम्मिलित हैं। Neo Proterozoic काल

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPA)


Parvatiyan Parivar
E-5, Akera Colony, Bhopal (M.P.)

(90-57 करोड वर्ष) के Bhander Group में Ganurgarh Shale साथ में बालू पत्थर, Bhander Limestone व Lower Bhander Sandstone साथ में अंदर अनियमित शैल प्रकारों का समावेश है। यह जिले के उत्तर-पश्चिमी भाग में एवं डेक्कन ट्रैप के मध्य पाये जाते हैं। Vindhyan Super Group के Rock Types प्रमुखतः श्रेणीबद्ध शैल व बालू पत्थर के एकान्तरित क्रम में पाये जाते हैं।

Cretaceous काल (13.6-5 करोड वर्ष) के लमेटा समूह के शैल-प्रकार सिलिसियस चुना-पत्थर व अत्यधिक जीवाश्मयुक्त बालू-पत्थर से युक्त हैं जो जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में 08 से 25 कि.मी. सिरसी के दक्षिण-पूर्व में व्याप्त हैं। यह शैल प्रकार डेक्कन ट्रैप लावा-स्तरों के नीचे समतलीय अवस्था में विद्यमान है।

Cretaceous to Palaeogene काल (6.5-6 करोड वर्ष) के Deccan Trap के अंतर्गत मालवा समूह के Basaltic Lava Flows जिले के दक्षिणी, मध्य, कुछ उत्तरी भाग तथा उत्तर-पश्चिमी भागों में व्याप्त हैं। Deccan Trap Lava Flows के Base में Intertrappeans पाये जाते हैं, जिनका Occurrence, Lacustrine or Fluvialite Origin का है। इनके अंतर्गत जीवाश्मयुक्त चर्ट व जीवाश्म-विहीन चर्ट चूना-पत्थर हैं जो कि जिले के उत्तर-पश्चिमी दक्षिण-पूर्वी व दक्षिणी भाग में पाये जाते हैं। मालवा समूह के लावा स्तरों को कालीसिन्ध, कांकरिया-पीरुखेड़ी व इंदौर संरचना स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। यह समूह 14 बैसाल्ट लावा-स्तरों से युक्त है जो 'आ', 'पाहोहो' व मेगाक्रिस्ट प्रकृति के हैं। कालीसिन्ध संरचना स्तर पॉच 'आ' प्रकार के बैसाल्ट लावा-स्तरों से युक्त है, जो नॉन-पॉरफिरिटिक से मध्यम पॉरफिरिटिक प्रकार के हैं। कांकरिया-पीरुखेड़ी संरचना स्तर चार 'आ' प्रकार बैसाल्ट लावा-स्तरों जो नॉन-पॉरफिरिटिक से कम पॉरफिरिटिक व एक मेगा-क्रिस्ट लावा-स्तर ऊपरी-मध्य भाग में तथा एक 'पाहोहो' लावास्तर आधार में पाया जाता है, नवीनतम इंदौर संरचना-स्तर मात्र एक 'आ' प्रकार के बैसाल्ट लावा-स्तर से युक्त है जो अल्प से मध्यम पॉरफिरिटिक गुणों का है।

Cainozoic काल (7-0.1 से कम करोड़ वर्ष) के लेटेराइट बड़े बोल्डरों या शिला-खण्डों व निक्षेपों रूप में विद्युन उन्न भू-भाग व डेक्कन पठारों पर आच्छादित हैं जो जिले के मध्य व पश्चिमी भाग में व्याप्त हैं। लौहयुक्त लेटेराइट के निक्षेपों के स्तरों की मोटाई 1 से 5 मीटर है। चतुर्थकल्पीय काल (10 लाख वर्ष से कम) के जलोद्धक संकरी पट्टिकाओं तथा पृथक रूप से विकसित खण्डों के रूप में पार्वती नदी के किनारों पर जिले के दक्षिणी भाग में तथा पारोल के निकट जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में विद्यमान हैं। यह जलोद्धक पैंगल स्तर, ग्रिट, सिल्ट व बालू से युक्त है।


State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)


Paryavaran Parivar
E-5, Areka Colony, Bhopal (M.P.)

Geological Succession of District Guna

<u>Lithology</u>	<u>Stratigraphic Status</u>	<u>Age</u>
Alluvium (Sand, Silt)		Quaternary
Laterite		Cainozoic
'Aa', Compound 'Pahoehoe' And Basaltic Lava Flows (Malwa Group –Deccan Trap)	Indore Formation Kankariya Formation Pirukheri Formation Ranod Formation	Cretaceous to Palaeogene
Lameta Group	Kali Sindh Formation Karwa Formation Unclassified Basaltic Lava Flows/Intertrappean (Limestone and Chert)	Cretaceous
Vindhyan Super Group (Bhander Group)	Siliceous Limestone & Fossiliferous Sandstone Lower Bhander Sandstone Bhander Limestone Ganurgarh Shale	Neo Proterozoic (Late)


State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCA)
 PANJARAN PARSHI
 D.R.V. M.P. (M.P.)
 E.S. AREA NO. 04
 P.G. COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

05- जिले में भू-उपयोग आवरण का स्वरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)




State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEAA)

Parvavaran Parivar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



Land Use & Land Cover Classes of the District Guna

LULC Breakup of the District	% Area	Area (in Sq. km.)
Built-up Land	0.27682934	17.5014
Crop Land	58.63356896	3706.867
Deciduous Broadleaf Forest	22.68169229	1433.957
Fallow Land	6.762921755	427.558
Mixed Forest	4.961476347	313.669
Shrubland	5.331733651	337.077
Wasteland	0.102145018	6.4577
Water Bodies	1.209783474	76.4836
Plantation	0.039891871	2.522



जिला गुना के वन मण्डल का वन क्षेत्रफल कुल 180 वन खण्डों के अंतर्गत सम्मिलित होकर कुल 2214.67 वर्ग कि.मी. है, जिसमें से आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 774.60 वर्ग कि.मी. जिसमें 25 वन खण्ड सम्मिलित हैं तथा संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 1440.07 वर्ग कि.मी. जिसमें 155 वन खण्ड सम्मिलित हैं।


जिला गुना में तीन प्रकार का Forest Classification पाया जाता है-

1. Teak Forest
2. Mixed Forest
3. Bamboo Forest

जिला गुना में वनों की निम्नलिखित प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे कि- Teak, Dhaora, Achar, Aonla, khair, Kaim, Tendu, Bija, Behera, Salai, Tinsa, Gurjan, Khai, Sal, Palas, Bamboo, Dhaoral, Lendia, Sajaj etc.

State Level Environment Impact Assessment Authority M.P.


[Signature]



मध्यप्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टीयाँ पाई जाती हैं-

1. काली मिट्टी
2. लाल-पीली मिट्टी
3. जलोढ़ मिट्टी
4. कछारी मिट्टी
5. मिश्रित मिट्टी

गुना जिले का भू-भाग, जलोढ़ मिट्टी एवं गहरे रंग की काली मिट्टी के आवरण वाला है, जिसे दोमट मिट्टी (Loamy Soil) भी कहा जाता है। यह मिट्टी उर्वरक एवं काफी उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मिट्टी में सिल्ट, चिकनी मिट्टी एवं बालू का मिश्रण होता है जिसमें 40 प्रतिशत सिल्ट, 20 प्रतिशत चिकनी मिट्टी तथा 40 प्रतिशत बालू की मात्रा की उपस्थिति होती है, यह उक्त संरचना मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। इस मिट्टी के कर्णों में बहुत अधिक जल धारण क्षमता होती है, जिस कारण यह पानी की पर्याप्त मात्रा को रोके रहती है और इसमें वायु संचार भली-भौति होता है।




गुना जिले में काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर पाई जाने वाली डेक्कन ट्रेप बैसालिटिक लावा चट्टानों के क्षरण के कारण हुआ है। इस मिट्टी के रसायनिक संगठन में अन्य रसायनों के अलावा लोहे और चूने की मात्रा अधिक होने से इसका रंग काला हो जाता है। पानी पड़ने पर ये मिट्टी चिपकती है और सूखने पर इनमें बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मिट्टी में वायु संचरण तथा जल निकासी की समस्या नहीं होती है।

गुना जिले के आरोन एवं चांचौडा ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी (Clay Soil) भी पाई जाती है, इस मिट्टी के कण बहुत ही महीन होते हैं और पास-पास स्थित होने के कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इस मिट्टी के कणों में जल धारण क्षमता कम होती है तथा Air Spaces कम होने के कारण वायु संचार नहीं होता है, जिस कारण यह मिट्टी अधिक उर्वरक नहीं होती है।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EIA)

Paryavaran Parivar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)




जिला गुना Seismic Activity Zone के Low Damage Risk Zone के अंतर्गत आता है।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.

(EPA)
Parivaran Pansar
B-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

06- जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface Water & Ground Water Scenario in the District)




जिला गुना में मुख्य रूप से दो नदियाँ - पार्वती और यिंध प्रवाहित होती हैं, इनके अलावा इनकी सहायक नदियाँ पुरेती, बर्री, अंधेरी तथा कुन्जू नदियाँ प्रवाहित होकर जिले में भौगोलिक रूप से Dendric Pattern का निर्माण करती हैं।

Assessment Authority, M.P.

I.C.P. 100

District Collector, Parisaar

Dated: 20th January, 2018 (S.E.)



जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। जल के उपयोगों में शामिल हैं- कृषि, औद्योगिक, घरेलु और पर्यावरणीय गतिविधियाँ। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर में ताजे जल की आवश्यकता होती है।


जल संसाधन के प्रकार :

1. सतही जल संसाधन
2. भूमिगत जल संसाधन

जिला गुना, जल संसाधन के मामले में अच्छी दिथति में है। यहाँ मुख्य रूप से दो नदीयाँ प्रवाहित होती हैं - पार्वती एवं सिंध तथा इनकी सहायक नदियों के रूप में कूनूर अंधेरी, पूरेती एवं बर्वी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके आलावा जल स्रोतों के रूप में मानव निर्मित तालाब एवं बांध मौजूद हैं।

[Signature]
State Level Environment Impact Assessment Authority M.P.

(EPO)
Patwari Colony, Parisaar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)




Lithology of Groundwater Potential Zone of District Guna

Ground Water Potential Zone	Lithology
Fairly Good	Bhander Sandstone
Good	Limestone
	Laterite
	Deccan Trap
Low	Alluvium

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.


(EPCA)
Parivaran Parivar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

WATERSHED MAP OF DISTRICT GUNA



जिला गुना को छ: Watershed में बांटा गया है जिसका Interpretation निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Watershed	Area (in Sq. Km.)
1	Parvati River	2917 Sqkm
2	Sindh River	1129 Sqkm
3	Kunu River	596 Sqkm
4	Barri River	678 Sqkm
5	Purerti River	513 Sqkm
6	Andheri River	556 Sqkm




चम्बल बेसिन - चम्बल नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो विन्ध्यन पठार के उत्तरी पश्चिमी लोब तथा अरावली पर्वत के मध्य जलोढ़ संरचना से होकर प्रवाहित होती है। इसलिए इस प्रदेश को चम्बल बेसिन का नाम दिया जाता है। चम्बल और इसकी सहायक नदियाँ जैसे - सिंध और पार्वती कोटा में एक त्रिकोणमयी बेसिन का निर्माण करती हैं।

यमुना बेसिन - यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री (उत्तरकाशी से 30 किमी उत्तर, गढ़वाल में) नामक जगह से निकलती है और प्रयाग (प्रयागराज) में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चम्बल, सेंगर, सिंध, बेतवा और केन उल्लेखनीय हैं।

07- जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Rainfall & Climate Condition in the District)

Rainfall in Guna District (Data as per Ground Water Year Book – CGWB)

Year	Monsoon Rainfall	Normal Rainfall	Departure from Normal Monsoon Rainfall (%)	Category
2017-18	631.4	879.4	-28	Deficit
2018-19	907.8	943	-4	Normal
2019-20	1557.2	888.1	75	Large Excess
2020-21	847	888.1	-5	Normal
2021-22	1633.2	888.1	84	Large Excess



जिला गुना में मानसून का मौसम जुलाई से प्रारंभ होता है, इस दौरान यहाँ नियमित वर्षा होती है। जिला गुना सर्दी में अत्यधिक ठंडा रहता है। सर्दी का मौसम नवम्बर से फरवरी तक रहता है। दिसम्बर और जनवरी में यहाँ रात का तापमान कभी-कभी 5 से 6 डिग्री सेन्टीग्रेड तक चला जाता है जबकि उच्चतम तापमान दिन में 18-20 डिग्री सेन्टीग्रेड के आस-पास रहता है। दिसम्बर-जनवरी माह में जिले में कड़ाके की ठण्ड पड़ती है जिसके साथ-साथ कोहरा भी पड़ता है। उसी समय उत्तर-पश्चिम से आने वाली हवायें जिले को असामान्य रूप से ठण्डा करती हैं।

08 - प्रदत्त प्राण्य अनुसार जिले में ऊनन पट्टो का ब्यौरा (Detail of the Mining Leases in the District as per the

Following Format)

क्र खनिज का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टेदार का नाम और संपर्क संख्या	खनन पट्टा अनुदान आदेश संख्या एवं तारीख	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	सर्वे नं.	खनन पट्टे की उभयि (शारिरिक)	खनन पट्टे का क्षेत्र (हिक्टे यार में)	खनन पट्टे की अवधि (घटला दूसरा नवीनीकरण)	खनन पट्टे की अवधि (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो	खनन प्राण्य त कार्यश ील /ैर- कार्यी त	पर्यावरण निकासी आदि के परामरण स्थानी रूप से कार्यी त	खनन की विधि (खुली/ पूर्ण/ गत)	पैड /पौध की प्रजाति या	
से	तक	से	तक	से	तक	से	तक	से	तक	से	तक	से	तक		
1 गिरदी (पट्टर)	सुरेन्द्र गुप्ता	9755043 372	274.2 तिनांक 22.12. 17	ग्राम- पुरापोस्तर	गुना	सर्वे नं 111/1/क /13	रक्कया 2.000 हेटे	8/11/20 16 से से	08.11.06 16 से 16	31.10.26	कारबी त	गैर- कार्यवा त	पर क. 6.0 दिनांक 12.03. 18	24°42'05.1 0N 77°15'20.8 0E	(खुली) 1 0 3 यूके लिप्ट स 4 शीश म, 3 नीम
2 गिरदी (पट्टर)	मेसर सं तिक्कपति	9049009 9893520 596	1326.9 तिनांक 64.8. 14.0.8. 18	ग्राम- खेजरा	गुना	सर्वे नं 396/1	रक्कया 4.000 हेटे	9/4/201 7 से से	09.04.07 7 से 17	05/02 /07	कारबी त	गैर- कार्यवा त	24°37'03.3 0N 77°21'59.8 0E 24°36'55.4 0N 77°21'59.8 0E 24°36'55.6 N	(खुली) 1 2 4 यूके लिप्ट स 4 शीश म, 4 नीम	

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)
Parivayavani Project
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

3	निर्दटी (प्रत्यक्ष)	राजेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमा न कालानी गुना	9755042 794	2199 दिनांक 06.05. 17	ग्रनम गणेशपुरा	गुना सर्वे नं. 13	रक्कया 4.000 हे	21.09.2017 से 21.09. 17	22.09.07 से 21.09. 17	20.09.07	कार्यशी ल	गैर- कैटिव	पत्र फृ. 2.0 दिनांक 11.07. 17	24°41'31.4 ०°N ७७°१७'३०.० ९E	(युली) 1 4 युके लिट सा ४ शीश म, 4 वीम
4	निर्दटी	सतोष धाकड	9479645	329	राजीवगंज	गुना	सर्वे नं.	रक्कया	31.07.2015	-	6 / 7 / 2	कार्यशी ल	गैर- पत्र फृ.	24°42'41.5 ५N	(युली) 1 3

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिला वर्केश्वर नियोगी

(पत्र)	निवासी-हुना न कालोनी गुना	111	दिनांक 06.07. 15	112 / 4	2,000 हे.	30.06.2025	से	015	ल	कोटि व	16.8 दिनांक 07.11. 14	77°19'54.7 7°E 2N 77°19'55.5 8°E 24°42'36.8 4°N 77°19'55.2 8°E	0 यूके लिट स 4 शीश म. 3 वीम	
5	गिर्दटी (पत्र)	पुणेन्द्र धाकड	9584851 029	1796 दिनांक 08.12. 16	मावार	गुना	सर्वे नं. 8/1	रकमा 2,000 हे.	19.04.2017	-	16.06.17 कायशी ल	लगलन लन	3°N 77°18'35.2 4°E 24°40'34.7 1°N 77°18'36.7 0°E 24°40'38.0 3°N 77°18'36.7 0°E 24°40'39.6 N 77°18'39.9 6°E 24°40'35.5 9°N 77°18'39.9 6°E	1 यूके लिट स 4 शीश म. 2 वीम
6	गिर्दटी (पत्र)	निशाक गाँव निवासी- जाट मोहल्ला गुना	9406573 766	21635- 636 दिनांक 18.12.15	ग्राम मोहनपुरक ला	गुना	सर्वे नं. 57 / 1	रकमा 4,000 हे.	18.12.2015	-	05/01 कायशी ल	पत्र क. पत्र क. दिनांक 2.6.05. 16	12.4 0°N 77°20'00.0 5°E 24°42'49.5 2°N 77°20'00.0 0°E 24°42'50.0 9°N 77°20'6.18° E 24°42'45.4 3°N 77°20'6.26° E	3 यूके लिट स 4 शीश म. 3 वीम
7	गिर्दटी (पत्र)	पुनीत अग्रवाल पुत्र प्रभोद अग्रवाल निवासी-पुरानी	3261 9425739 610	दिनांक 09.04.18	ग्राम पिंडोबाबु	गुना	सर्वे नं. 2/1	रकमा 4,000 हे.	1 / 5 / 201 7	01.05.07 से 30.04. 17 से	28.02.20 कायशी ल	गर- केटिव	24°40'57.4 0°N 77°18'35.1 0°E	6 यूके लिट स 4

MP Revenue Department
Assessment Authority, M.P.
(EDOO)
Parivahan Parivar
B-5, Aerial Colony, Bhopal (M.P.)

जिला अवैक्षण विपोट

	गल्ला मंडी गेट गुना									30.04.2027				
											24°40'47.7 0°N 0°E	77°18'35.6 0°N 0°E	24°40'47.6 0°N 0°E	77°18'28.8 0°N 0°E
											24°40'55.3 0°N 0°E	77°18'28.0 0°N 0°E	24°41'03.1° N 0°E	77°18'52.4° E 0°N
8	गिट्टी (पत्तर)	सुखपाल गिल निवासी—भगत सिंह नगर नानाखेड़ी गुना	9685954 299	31630— 633 दिनाक 18.12.15	ग्राम पिपरोदाराखु द	गुना	सर्वे नं. 61	रकमा 4,000 दे.	18.12.2015 से 17.12.2025	— 04 / 02 / 15	गेर— कैटिव	प.क्र. 5435 दिलाक 07.09. 15	N 77°19'00.5° E 24°41'02.5° N 77°19'00.6° E 24°41'03.1° N 77°18'52.4° E 24°41'00.1° N 77°18'59.5° E	(खुली) 0 3 यहूके तिट स 4 शीश स, 3 वीम
9	गिट्टी (पत्तर)	विजयेन्द्र रघुवंशी निवासी—ग्राम धमनार गुना	2740 9893221 944	2740 दिनाक 20.12.17	ग्राम पिपरोदाराखु द	गुना	सर्वे नं. 63	रकमा 2,000 दे.	19.12.2016 से 18.12.2026	21.01.16	कार्यशी ल	प.क्र. 46 दिलाक 12.03. 18	N 77°18'42.0° 0°E 24°41'01.3° N 77°18'42.8° E 24°41'01.8° N 77°18'34.0° 0°E 24°40'58.1° N 77°18'34.3° E 24°40'57.9° N 77°18'41.2° E	(खुली) 1 6 यहूके तिट स 4 शीश स, 2 वीम
1 0	गिट्टी (पत्तर)	यशवर्कर्ण भागव निवासी—भागव	9479394 748	2736 दिनाक 20.12.17	ग्राम पिपरोदाराखु द	गुना	सर्वे नं. 61	रकमा 4,000 दे.	13 / 04 / 2 017 से	25.12.17	कार्यशी ल	प.क्र. 40 दिलाक	24°41'11.2 1°N 77°18'42.8 2°E	(खुली) 0 3 यहूके तिट

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)
Paryavaran Patras
M-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

						कालोनी गुना		कालोनी गुना				12/4/20 27			
1	गिट्टी (पत्रधर)	राकेश रघुवंशी निवासी-हीरा बाजार कालोनी गुना	9425408 550	2737 दिनांक 20.12.17	ग्राम पिपरीदार्थु दे	गुना	सर्वे नं. 2/1 मिन-1	रक्ता 2.000 दे	25.11.2017 से	05.12.06 से 04.12. 16	26.04.18 ल	कार्यशी गैर- कैटिव	प.क्र. 5.6 दिनांक 12.03.	24°41'174° N 77°18'42.9 9°N 24°41'15.9 77°18'52.0 0°E 24°41'11.1 77°18'51.6 7°E	(खुली) 1 2 यूके लिट स 4 शीश मा, 2 तीम
1	गिट्टी (पत्रधर)	राकेश रघुवंशी निवासी-हीरा बाजार कालोनी गुना	9425408 550	2737 दिनांक 29.10.16	ग्राम पिपरीदार्थु दे	गुना	सर्वे नं. 2/1 मिन-1	रक्ता 4.000 दे	01/11/2 016 से	01.11.06 से 31.10. 16	29.10.16 ल	कार्यशी गैर- कैटिव	प.क्र. 1.1 दिनांक 15.06. 17	24°40'54.9 8°N 77°18'19.6 8°E 24°40'55.8 3°N	(खुली) 1 0 यूके लिट स 4 शीश मा, 3 तीम
1	गिट्टी (पत्रधर)	ऋषि अग्रवाल निवासी-सदर बाजार गुना	9425408 345	1704 दिनांक 29.10.16	ग्राम पिपरीदार्थु दे	गुना	सर्वे नं. 2/1 मिन-1	रक्ता 31 / 10 / 2 026	01/11/2 016 से	01.11.06 से 31.10. 16	29.10.16 9°E	कार्यशी गैर- कैटिव	प.क्र. 1.1 दिनांक 15.06. 17	24°40'28.1 2°E 24°41'01.0 8°N 77°18'26.9 4°E 24°41'00.6 9°N 77°18'18.5 5°E	(खुली) 1 0 यूके लिट स 4 शीश मा, 3 तीम
1	गिट्टी (पत्रधर)	राकेश शमा निवासी-चालि यर	9009931 467	2739 दिनांक 20.12.17	ग्राम पिपरीदार्थु दे	गुना	सर्वे नं. 2/1 मिन-2	रक्ता 4.000 दे	19.09.2017 से	19.09.07 से 18.09. 17	28.04.18 ल	कार्यशी गैर- कैटिव	प.क्र. 4.4 दिनांक 12.03. 18	24°40'37.3 6°N 77°18'26.8 5°E 24°40'30.7 0°N	(खुली) 1 2 यूके लिट स 4 शीश मा,

State Level Environment Impact
Authority M.P.
(EPLI)

Paryavaran Parivar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिला अर्केश्या लिपेट

1	गिरटी (पत्तर)	नरेन्द्र शिवहरे	3207 दिनांक 24.03.18	ग्राम वरजरागढ	गुना	सर्वे नं. 493	रक्कया 2,000 हे.	20.04.2018 से 19.04. 18	04 / 03 / 17	कार्यशी त	गैर- कैटिव	प.क्र. 9.4 दिनांक 18	24°35'28.9 0°N 6°E	(खुली)	1 3	यूके लिट स 4 शीश म, 3 वीम	2 लीम		
4	गिरटी (पत्तर)	निवासी-कमला भवन के पास गुना	9669785 333					19.04.2028						77°18'23.5 0°E 5°N 77°18'29.6					
1	गिरटी (पत्तर)	मुमुक्षु-काली निवासी-हनुमा न कालोनी गुना	99993386 999 12.05.17	ग्राम वरजरागढ	गुना	सर्वे नं. 1020 / 6	रक्कया 2,000 हे.	01 / 3 / 20 से 28 / 02 / 2 027	—	20.09.17	कार्यशी त	गैर- कैटिव	प.क्र. 1.1 दिनांक 17	24°34'03.4 7°N 7°E 1N	(खुली)	1 2	यूके लिट स 4 शीश म, 2 वीम	6 लीम	
5	गिरटी (पत्तर)	मुमुक्षु-किंश जाट निवासी-हनुमा न कालोनी गुना	99993386 2219 12.05.17	ग्राम वरजरागढ	गुना	सर्वे नं. 1018 / 6	रक्कया 2,000 हे.						77°18'11.5 3°E 5°N 77°18'14.0 6°E						
1	गिरटी (पत्तर)	अमरसेह जाट	8085251 49	ग्राम वरजरागढ	गुना	सर्वे नं. 1018 / 6	रक्कया 4,000	06 / 11 / 2 015	—	03 / 02 / 16	कार्यशी त	गैर- कैटिव	प.क्र. 24°34'15.6 0°N	(खुली)	1 3				

Aera Level Enviror. M.P. 2021
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

E-5, Aera Colony, Bhopal (M.P.)

जिला स्कैक्या विप्रेट

निवासी-हनुमा न कलोनी गना	193	विनांक 06.11.15							05/11/2 025	से दे				1.1.20 दिनांक 04.08. 16	77°18'32.8 0°E 0°N	पक्ष- कैटिव राजकीय त्रिकांक 0°N	0	युक्ति सं 4 शीश म, 3 नीम
1 शिवार्थी दीपेन्द्र सिंह तोमर निवासी-38 हर्षनगर आटीपुर ग्वालियर	7354586 998	विनांक 29.06.17	ग्राम बजरगांड	गुना	सर्वे नं 1029/2	रक्षा 2.000 हे.	01/01/2 018 से	-	01/01 /18	कार्यशी ल	पक्ष- कैटिव राजकीय त्रिकांक 12.12. 17	24°34'24.5 0°E 0°N	(खुली) पक्ष- कैटिव राजकीय त्रिकांक 12.12. 17	1	युक्ति सं 4 शीश म, 2 नीम			
1 शिवार्थी दीपेन्द्र सिंह तोमर निवासी-38 हर्षनगर आटीपुर ग्वालियर	7354586 998	विनांक 12.01.17	ग्राम बजरगांड	गुना	सर्वे नं 944	रक्षा 2.000 हे.	12/01/2 007 से	-	12/01 /17	कार्यशी ल	पक्ष- कैटिव राजकीय त्रिकांक 18.37 29.12. 16	24°34'25.4 0°E 0°N	(खुली) पक्ष- कैटिव राजकीय त्रिकांक 18.37 29.12. 16	0	युक्ति सं 4 शीश म, 3 नीम			
1 शिवार्थी राजेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमा	9755042 794	विनांक 16.06.17	ग्राम बजरगांड	गुना	सर्वे नं 1018/6	रक्षा 4.000 हे.	05/03/2 018 से	-	05/03 /18	कार्यशी ल	पक्ष- कैटिव राजकीय त्रिकांक 2.4 E	24°34'15.4 0°N 77°18'36.6° E	(खुली) पक्ष- कैटिव राजकीय त्रिकांक 2.4 E	1	युक्ति सं 2 शीश			

Abhishek
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)

Paryavaran Bhawan
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिला सरकारी विपर्येय


2 0	मिट्टी (पत्थर)	मौनासी जैन निवासी—याहुब लीपुर एवं रोड गुना	1799 दिनांक 042 13.12.16	ग्राम बजरागढ	गुना सर्व नं. 35. 37	रक्का 2,000 हे.	19.12.2016 से 18.12.2026	—	21.12.16 ल	कार्यशी गैर- कैटिव	प.क्र. 11000 दिनांक 02.02. 16	24°34'36.4' N 77°15'45.6' E	(खुली) 1 0
2 1	मिट्टी (पत्थर)	चन्द्रपाल शिंह तोमर निवासी—थाटीपु र चालियर	7354586 दिनांक 998 13.02.19	ग्राम बजरागढ	गुना सर्व नं. 1029/2	रक्का 2,000 हे.	06/07/2 से 05/07/2 029	—	06/07 /19	कार्यशी गैर- कैटिव	प.क्र. 1511 दिनांक 03.02. 19	24°34'15.7' N 77°18'09.8 E	(खुली) 1 2

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.

(EPCA)
Paryavaran Parivar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिला सर्केशन लिपोट

2 2	गिर्दटी (पत्रर)	रघुवीर सहरिया	7771982 222	ग्राम बजरागढ	गुना सर्वे नं. 1009 / 2	रक्का 2.000 दे से	11/12/2 015 से	-	11/12 /15	गेर- कायशी ल	गेर- कैटिव	प.क्र. 13096 दिनांक 27.09. 19	24°34'39.5 2°N 77°18'28.5 1°E 24°34'41.9 8°N	(खुली) 1 0	3 यूके लिट स 4 शीश म, 3 वीम
2 3	गिर्दटी (पत्रर)	हरवीर शिंह जाट निवासी-हुमा न कालोनी गुना	7771982 222	ग्राम बजरागढ	गुना सर्वे नं. 1018 / 6	रक्का 4.000 दे से	05/03/2 018 से	-	05/03 /18	कायशी ल	गेर- कैटिव	प.क्र. 3.2 दिनांक 15.12. 17	24°34'12.0° N 77°18'32.5° E 24°34'12.5° N	(खुली) 1 2	6 यूके लिट स 4 शीश म, 2 वीम
2 4	गिर्दटी (पत्रर)	मुद्रित शाह निवासी-सदर बाजार कैट-गुना	2961 दिनांक 29.12.17	ग्राम पिपोदाबु दे तहसील- गुना	गुना सर्वे नं. 2/1 मिन-1	रक्का 4.000 दे से	25.01.2017 से 24.01. 17	26.04.18	कायशी ल	गेर- कैटिव	प.क्र. 5.8 दिनांक 12.03. 18	24°40'55.3 0°N 77°18'28.0 0°E 24°40'54.0 0°N 77°18'24.0 0°E 24°40'46.3 0°N 77°18'22.3 0°E 24°40'46.7 0°N	(खुली) 1 0	3 यूके लिट स 4 शीश म, 3 वीम	


 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCO)
 Paryavaran Parivar
 - Agra Colony, Bhopal (M.P.)

जिला सर्केशा विधेय

2 5	गिटटी (पत्रर)	अभिना जेन	9754391 006	2466 दिनांक 26.09.17	ग्राम वरजरागढ	गुना	सर्वे नं. 1029/2	रकमा 4,000 है।	08 / 05 / 2 017 से	08 05 07 से 07.05. 17	23.01.18	कार्यशी र त	गेर- कैटिव	प.क्र. 3.8 दिनांक 18.12. 17	77°18'29.1 0°E 76°17'59.4 0°E 76°17'59.1 0°E 76°18'05.9 9°E 76°18'06.2 9°E	(खुली) 1 2 6 युके लिट स 4 शीश म, 2 वीम
2 6	गिटटी (पत्रर)	राजवीर सिंह रघुवर्षी निवासी-गुलाब गज आरोन	9826254 953	3250 दिनांक 05.04.18	ग्राम यारोद	आरोन	सर्वे नं. 65 / 1 / मिन -2	रकमा 2,000 है।	06 / 07 / 2 018 से	-	07 / 07 / 18	कार्यशी र त	गेर- कैटिव	प.क्र. 1.3169 दिनांक 16.10. 18	24°25'46.9 0°N 77°22'25.1 0°E 24°25'51.4 0°N 77°22'23.5 0°E 24°25'53.3 5°N 77°22'23.9 8°E 24°25'55.3 5°N 77°22'27.2 6°E 24°25'46.9 5°N 77°22'26.9 4°E	(खुली) 1 0 3 युके लिट स 4 शीश म, 3 वीम
2 7	गिटटी (पत्रर)	विशाल रघुवर्षी निवासी-ग्राम चामखेड़ा तहसील-आरोन	9617462 870	2888 दिनांक 19.01.18	ग्राम चामखेड़ा	आरोन	सर्वे नं. 136 / 2 / क	रकमा 4,000 है।	—	22.03.2018 से	—	कार्यशी र त	गेर- कैटिव	प.क्र. 6.2 दिनांक 12.03. 18	24°24'48.1 0°N 77°26'43.4 0°E 24°25'29.9 5°N 77°26'44.4 9°E 24°24'53.0 0°N 77°26'53.5 6°E	(खुली) 1 2 6 युके लिट स 4 शीश म, 2 वीम
 State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCA)																

जिला अवैधता रिपोर्ट

2 8	गिरटी (पत्रर)	बनवासीलाल घाकड निवासी-ग्राम पहारुआ तहसील आरोन	9893895 920	3490 विनांक 18.07.18	ग्राम मुडरामाता	आरोन	सर्वे नं 3 / 1 / क / 1	रक्खा 2,000 दे	27.03.2018 से 26.08. 18	27.08.08 22.02.08	कायदी गेर- कैटिव	प.क्र. 82 दिनांक 30.06. 18	24°15'46.5" 77°26'53.5 4"E	(खुली) 1 0
2 9	गिरटी (पत्रर)	फूल शिंह लोही निवासी-भगवा न पुरा व्यावरा	9893143 830	3866 दिनांक 13.12.18	ग्राम तोरीगांव	चाचोडा	सर्वे नं 213 / 6	रक्खा 1700 दे	28.05.2019 से	—	कायदी गेर- कैटिव	प.क्र. 740 दिनांक 22.05. 19	24°53'77" 77°27'20.1 0"E	(खुली) 1 2
3 0	गिरटी (पत्रर)	हमराज खारे निवासी-ग्राम जोगीपुरा	9826698 761	1941 दिनांक 07.02.17	ग्राम जोगीपुरा	चाचोडा	सर्वे नं / 1 / 1	रक्खा 2,000 दे	01 / 09 / 2 से	— 04 / 09 / 17	कायदी गेर- कैटिव	प.क्र. 76°58'34.3 24°50'4.83" N 0E	24°50'4.96" 76°58'34.3 2E N 0E	(खुली) 1 0

3 1	निरटी (पत्तर) निवासी—ग्राम आगर (भालवा)	रखबंद जैन 9826788 777	2275 दिनांक 27.06.17	ग्राम जगमपुरा	चारधोडा सर्वे नं. 16 / 1 / 1	रक्खा 3,000 दे	20.12.2017 से 19.12.2027	—	20.12.17 ल	कार्यशी ग्र- कैटिव	प.क्र. 2.6 दिनांक 1.2.12. 17	24°50'08.98" N 76°58'34.4 0'E 24°50'08.88" N 76°58'34.1 5"E 24°50'07.15" N 76°58'34.1 1"E 24°50'07.03" N 76°58'34.3 2"E	(खुली) 1 2 6 यूके तिट स 4 शीश क, 2 वीक्स
3 2	निरटी (पत्तर) निवासी—ग्राम सादला तहसील—मनोह र थाना	प्रेमविहारी लोधा 9929809 588	2805 दिनांक 01.01.18	ग्राम आंखेडी	चारधोडा सर्वे नं. 29 / 4	रक्खा 2,000 दे	27.03.2018 से 26.03.2028	—	28.03.18 ल	कार्यशी ग्र- कैटिव	प.क्र. 5.2 दिनांक 1.7.03. 18	24°28'16.8 0"N 76°59'10.0 0"E 24°28'21.6 0"N 76°59'10.0 0"E 24°28'22.7 0"N 76°59'14.7 0"E 24°28'17.0 0"N 76°59'10.2 0"E	(खुली) 1 0 3 यूके तिट स 4 शीश क, 3 वीक्स
3 3	निरटी (पत्तर) निवासी—ग्राम विजयसेह भीत	विजयसेह भीत 9713560 937	2758 दिनांक 28.12.17	ग्राम दाढोन्या	मकूदन गढ	सर्वे नं. 46 / 1 / क	रक्खा 2,000 दे	20.04.2018 से	20.04.18 ल	कार्यशी ग्र- कैटिव	प.क्र. 2.1 दिनांक	24°09'40.6 7N 77°13'17.5 2"E	(खुली) 1 2 6 यूके तिट

Site Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिला अवैश्वान विप्रेट

19.04.2028								
गादेर तहसील—मवस् दगनढ								
11.07. 17	24°09'40.0 0N 4E 77°13'15.4 7N 77°13'14.2 0E 24°09'37.7 3N 77°13'13.9 6E 24°09'37.0 8N 77°13'13.8 4E 24°09'35.7 9N 77°13'16.0 0E 24°09'37.5 7N 77°13'17.0 0E	सं 4 शीश म, 2 वीम	सं 4 शीश म, 2 वीम					

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPAO)

Paryavaran Parishar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

3 5	गिरटी (पत्थर)	विजयसिंह भील निवासी—ग्राम गादेर तहसील—मक्सू दगन्ड	9713560 937	1442 दिनांक 28.12.17	ग्राम ढाढ़ोचा	मक्सूदन गढ़ 46 / 1 / क	सर्वे नं. 4000 है	रक्खा 04 / 01 / 2 018 से	04 / 01 / 08 से 03.01. 18	23.03.18	कायशी ल	गेर- केटिव	प.क्र. 4.0 दिनांक 12.03. 18	24°09'23.4 0°N 77°13'04.1 E	(खुली) 6 युक्त लिप्त स 4 शीश म, 2 वीम
3 6	गिरटी (पत्थर)	साधिक मोहम्मद निवासी—मधुसूद नगढ	9724404 077	16041 —44 दिनांक 21.09.15	ग्राम कोलारस	मक्सूदन गढ़ 301 / 1	सर्वे नं. 4000 है	रक्खा 16.07.2013 4.000 से	16.07.2013 से 15.09. 13	11 / 09 / 15	कायशी ल	गेर- केटिव	प.क्र. 1.1 दिनांक 07.11. 14	24°05'14.4 0°N 77°15'11.4 E	(खुली) 1 युक्त लिप्त स 4 शीश म, 3 वीम
3 7	गिरटी (पत्थर)	रंजीत सिंह मीना पुत्र रामगारायण मीना निवासी—ग्राम हिंगोना, तहसील मक्सूदनगढ़	3587 दिनांक 13.08.18	ग्राम ग्राम मोतीपुर	मक्सूदन गढ़ 165 / 1 / क	सर्वे नं. 3.000 है	रक्खा 25.02.2019 3.000 से	—	—	कायशी ल	गेर- केटिव	प.क्र. 8.0 दिनांक 24.02.2019	24°09'33.1° N 77°13'21.8° E	(खुली) 1 युक्त लिप्त स 4 शीश म, 2 वीम	

जिला अकेश्वरा विधेयक

3 8	गिर्दटी (पत्रर)	लखन सिंह मीना पुत्र जयनारायण मीना निवासी—ग्राम सिंगाचोड़ी तह मकूदमाद	3748 दिनांक 05.10.18	ग्राम ग्राम मोतिपुर	सर्वे नं. 165 / 1 / क गढ़	रक्का 4,000 हे	25.02.2019 —	कायशी ल	गर- कोटिय	N 77°13'25.0' E	24°09'34.7' N	(सुनौ)	1	3 0	यूके लिट स 4 शीश म, 3 वीम
3 9	गिर्दटी (पत्रर)	विजय कारण निवासी—कुमार ज्ञ	7770888 022 दिनांक 21.09.15	ग्राम कुमारज	सर्वे नं. 295 / 1	रक्का 2,000 हे	15.04.2014 से 014. 04.14	कायशी ल	गर- कोटिय	प.क्र. 6N 77°20'38" E 1.6	24°21'55.2 4°N 77°20'00" E	(सुनौ)	1 2	6 0 यूके लिट स 4 शीश म, 2 वीम	
4 0	गिर्दटी (पत्रर)	रामपिलास भैश्विल निवासी—ग्राम उकावद तहसील—रायग ड	1846 दिनांक 03.01.17 9630296 794	ग्राम कुमारज	सर्वे नं. 175 / 5	रक्का 1,000 हे	03 / 03 / 2 से 02.03. 15	कायशी ल	गर- कोटिय	प.क्र. 8N 77°14'23.6 2E 1.6	23°56'37.0 0N 77°14'23.2 0E 9N 77°14'25.9 2E 0N	(सुनौ)	1 0	3 0 यूके लिट स 4 शीश म, 3 वीम	

Paryavaran Board
Hindi Medium, Phased 1997
Assessment No. 3, M.P.

जिला स्वाक्षण विधेय

4	गिरटी (पत्तर)	हरि सिंह जाट	9425310 045	22011 दिनांक 26.12.15	ग्राम विलाईखे आ	सर्वे नं 14 वर्गमात्री से	रक्खा 4,000 है	26.12.2015 से	कार्यशी रत	गेर- कोटिव	प.क्र. 1775 दिनांक 30.11. 16	77°14'27.2 0°E	24°44'22.6 6N	(खुली)	1	6 युक्त तिट स 4 शीश म, 2 वीम	
1		निवासी-हनुमा न कालोनी गुना						25.12.2025				77°15'42.5 3°E	24°44'19.5 1N				
4	गिरटी (पत्तर)	विनोद लाहोटी	9758411- 0	16491- 93 दिनांक 21.10.16	ग्राम अत्तीपुरा	राघोगढ	सर्वे नं. 79 / 1 / 1	रक्खा 1,500 है	18.04.2014 से	29.09.04 से 28.09. 14	कार्यशी रत	प.क्र. 1748 दिनांक 22.11. 16	24°28'15.9 1°N	77°09'38.4 9E	(खुली)	1	3 युक्त तिट स 4 शीश म, 3 वीम
2		निवासी-राधोग ड							17.04.2024			24°28'16.1 4°N	77°09'44.2 6E				
4	गिरटी (पत्तर)	अंगतिवं धाकड	9630240 073	403 दिनांक 11.11. 2020	ग्राम हजरतपुर	राघोगढ	सर्वे नं 35 वर्गमात्री से	रक्खा 2,000 है	12 / 11 / 2 020	—	कार्यशी रत	प.क्र. 3636 दिनांक 14.10. 20	24°23'39.1 4°N	(खुली)	1	6 युक्त तिट स 4 शीश म, 2 वीम	
3		पुत्र श्री राधेश्याम धाकड निवासी-साडा कालोनी राघोगढ़ गुना								11 / 11 / 2 030		24°23'16.08° E	77°8'19.60° 2°N				
4	गिरटी (पत्तर)	अंगतिवं धाकड	9630240 073	403 दिनांक 11.11. 2020	ग्राम हजरतपुर	राघोगढ	सर्वे नं 35 वर्गमात्री से	रक्खा 2,000 है				24°23'13.7 1°N	77°8'20.75° 77°8'20.75°				

State Level Environmental Impact
Assessment Authority, M.P.
(SLEIA)
Polytechnic Mansar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिला अवैद्यता विषयों

4	फरीपत्र थर (गिट्टी)	नाश्तलाल अम्रवाल निवासी-डोबरा	9414186 666 09 11 15	19573- 76 तिनांक	ग्राम डोबरा	वामरो सर्वे नं 16	रक्ता १.३९३ १८	०९ / ११ / २ ०१५ से	-	कायशी त	गैर- कौटिव	प.क्र. १ । २ । १ विलाक ० ४ . ० ८ १६	E २४°४९'३६.६ ०°N ७६°५२'४३.९ ०°E	E २४°२३'१४.७ ५°N ७७°८'१८.२९*	E २४°४९'३६.६ (छुली)	1 2	6 यहुं लिट स ४ शीश म, वीम
---	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---	------------	---------------	---	---	---------------------------------------	---------------------------	--------	---

[Signature]
 State Land Assessment Board
 Assessment Authority, M.P.
 I.E.R. Of
 Paryavaran Pansar
 E.G. Arera Colony, Bhopal (M.P.)

09- विगत तीन वर्षों के राजस्व का व्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)


मध्यप्रदेश शासन को जिला गुना से विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है, अतः खनिज उपलब्धता के दृष्टिकोण से जिला गुना मध्यप्रदेश राज्य का गौण खनिज उपलब्धता वाला एक महत्वपूर्ण जिला है।

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
1.	2019-20	7,35,75,664/-
2.	2020-21	8,95,63,060/-
3.	2021-22	16,22,55,735/-

10- विगत तीन वर्षों के उत्पादन का व्यौरा (Production Details of Last Three Years)

वित्तीय वर्ष	खनिज	उत्पादन (घ.मी. में)
2019-20	गिट्ठी	4,77,894
2020-21	गिट्ठी	3,28,815
2021-22	गिट्ठी	8,19,768

11- जिला गुना का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Guna)



GENERAL AREAS	STRUCTURE CODE	LAND USE	GENERAL AREAS	STRUCTURE CODE	LAND USE	EXPLANATION
1. Residential	1000-10000000	Urban Residential	2. Agricultural	2000-20000000	Agricultural Land	1. Residential 2. Agricultural 3. Industrial 4. Forest 5. Water 6. Other
2. Industrial	2000-20000000	Industrial Land	3. Industrial	3000-30000000	Industrial Land	
3. Industrial	3000-30000000	Industrial Land	4. Forest	4000-40000000	Forest Land	
4. Forest	4000-40000000	Forest Land	5. Water	5000-50000000	Water Body	
5. Water	5000-50000000	Water Body	6. Other	6000-60000000	Other Land	
6. Other	6000-60000000	Other Land				

Page | 42

12- जिले में उपलब्ध कुल खनिज भण्डार (Total Mineral Reserve Available in the District)

जिला गुना, मध्यप्रदेश में गौण खनिज दोहन हेतु एक महत्वपूर्ण जिला है। जिसमें खनिज रेत, गिट्टी हेतु पत्थर, मुरुम, फर्सी पत्थर, खण्डा-बोल्डर, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

जिला गुना में गौण खनिजों में खनिज रेत की 23 खदानें हैं, जिनमें नीलामी की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर खनिज की कुल 44 खदानें एवं मुरुम खनिज की 09 खदानें स्वीकृत हैं।

13- जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड (Quality/Grade of Mineral Available in the District)

जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड की गुणवत्ता अच्छी है। उक्त कारणों से ही जिले में उत्खनिपट्टों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है।

14- जिले में उपलब्ध खनिजों का उपयोग (Use of Available Minerals in the District)

जिला गुना में मिलने वाले गौण खनिज ऐसे कि- खनिज रेत, खनिज पत्थर क्रेशर (गिट्टी) एवं खनिज मुरुम का उपयोग सामान्यतः निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है।


15- जिले में विगत वर्षों के दौरान खनिज की मांग एवं पूर्ति (Demand & Supply of Minerals in the District During the Last Three Years)

विगत वर्षों में जिले की जनसंख्या में जैसे-जैसे वृद्धि होती गई, उसी प्रकार अन्य उपलब्ध मानव संसाधनों की तरह ही खनिज संसाधन की मांग एवं आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है। जिला गुना में विगत 05 वर्षों में निर्माण कार्यों में वृद्धि होने के कारण गौण खनिज रेत, पत्थर क्रेशर (गिट्टी) व मुरुम की मांग में वृद्धि हुई है, जिसकी आपूर्ति हेतु जिला स्तर पर उत्खनिपट्टों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि हुई है।


 Arun Singh
 Asstt. Commr.
 M.P.
 (E.I.T.)
 Paryavaran Parish
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

16- जिले के मानचित्र पर चिन्हांकित खनिज पट्टे (Mining Leases Marked on the Map of District)

जिला गुना में गिर्दी निर्माण हेतु पत्थर खनिज की कुल 44 खदानें स्वीकृत हैं।



State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(ERCO)
Paryavaran Parishar
E-9, Arcia Colony, Bhopal (M.P.)

17- जिले में गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों का व्यौरा (Details of Minor Mineral Proposed Mines in the District)

जिला गुना के गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों की सूची


क्र.	नाम/पता	उल्लेखित क्षेत्र का विवरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1.	राजवीर सिंह रघुवंशी निवासी-वार्ड क्र. 10 गुलाब गंज आरोन	ग्राम बारोद, तहसील आरोन, सर्वे नं. 65/1 मिन-2, रकबा 2.000 हे.	शासकीय
2.	मैसर्स सुपरटेक कांक्रीट प्रोडक्ट निवासी-गुना	ग्राम बजरंगगढ तहसील गुना, सर्वे नं. 493 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
3.	राजकुमार पुत्र नानजीराम लोधी निवासी-ग्राम खंदी, सुठलिया, जिला-राजगढ	ग्राम तेलीगांव तहसील-चांचौडा सर्वे नं. 170/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
4.	अपूर्वा दीक्षित पत्नि विकास दीक्षित निवासी-ऑफिसर कालोनी कैन्ट, गुना	ग्राम विनायकखेड़ी, तहसील-गुना, सर्वे नं. 62/4 रकबा 1.000 हे.	निजी
5.	मोहनराज मीना पुत्र बिट्टलदास मीना निवासी-ग्राम नया डुबेला कालोनी बमोरी	ग्राम हरिपुर तहसील-गुना सर्वे नं. 473/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
6.	अनिलद्वे मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण मीना निवासी-ग्राम भैसुआ, तह.चांचौडा	ग्राम भैसुआ तहसील-चांचौडा, सर्वे नं. 360/1/1 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
7.	धर्मेन्द्र सिंह रघुवंशी निवासी-आरोन, जिला-गुना	ग्राम वनवीरखेड़ी तहसील-आरोन सर्वे नं. 349/1/मिन-2 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
8.	राजीव रघुवंशी पुत्र मोहन सिंह निवासी-आरोन, जिला-गुना	ग्राम खामखेड़ा तहसील-आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 4.000 हे.	शासकीय
9.	अरविन्द धाकड निवासी-साडा कालोनी, राघौगढ	ग्राम हजरतपुर सर्वे नं. 31/1, 31/2, 36 रकबा 2.700 हे.	निजी
10.	शिवराज यादव पुत्र बनवीर यादव निवासी-ग्राम जामनेर, जिला-गुना	ग्राम मोतीपुर, तहसील- मक्यूदनगढ सर्वे नं. 170/5, 170/6 रकबा 3.000 हे.	शासकीय
11.	विशाल रघुवंशी निवासी-ग्राम खामखेड़ा, आरोन	ग्राम खामखेड़ा, तहसील-आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 1.000 हे.	शासकीय
12.	दीपक कुमार झा निवासी-व्यावरा, जिला राजगढ	ग्राम गुर्जरखेड़ी तह. कुंभराज,	शासकीय

		सर्वे नं. 119/1 रकबा 1.500 हे.	
13.	फूलबाई पुत्र ज्ञानसिंह निवासी-म्यापुर, तहसील-शाढौरा	ग्राम खामखेडा, तहसील- आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 5.000 हे.	शासकीय
14.	दीपक कुमार झा निवासी-व्यावरा, जिला राजगढ़	ग्राम नेत्याखेडी, तहसील चांचौडा, सर्वे नं. 38/1 रकबा 1.000 हे.	शासकीय
15.	रानी आदिवासी पत्नि तुलसीराम निवासी-ग्राम धानोरा, जिला-सागर	ग्राम खामखेडा, तहसील आरोन, सर्वे नं. 136/2/क रकबा 6.000 हे.	शासकीय
16.	भगवान सिंह मीना निवासी-इन्द्रा कालोनी, वार्ड नं. 04, कुंभराज	ग्राम-कुंभराज, तहसील-कुंभराज, सर्वे नं. 551/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
17.	सत्येन्द्र जैन निवासी-आकाश वाणी, कॉलेज रोड, गुना	ग्राम दुंगासरा, तहसील-गुना, सर्वे नं. 104/1/ख रकबा 2.000 हे.	शासकीय
18.	हरपाल गिल निवासी-भगत सिंह कालोनी, गुना	ग्राम नेगमा, तहसील गुना, सर्वे नं. 238/1/2 मिन-6 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
19.	भगवान सिंह मीना निवासी-कुंभराज	ग्राम कुंभराज, तहसील कुंभराज, सर्वे नं. 551/2 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
20.	राजा रघुवंशी निवासी-मूढराखुर्द, आरोन	ग्राम वनवीरखेडी, तहसील-आरोन, सर्वे नं. 349/1 मिन-2 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
21.	शेखर वशिष्ठ निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम गणेशपुरा, तहसील-गुना सर्वे नं. 173/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
22.	प्रभाकर सेंगर पुत्र देव सिंह सेंगर निवासी- फेंडस कालोनी, गुना	ग्राम गणेशपुरा, तहसील गुना, सर्वे नं. 13, रकबा 2.000 हे.	शासकीय
23.	जितेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम बजरंगगढ़, तहसील गुना, सर्वे नं. 1019(एस) रकबा 4.000 हे.	शासकीय
24.	राजेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम मकरावदा, तहसील गुना, सर्वे नं. 49/1/11(एस) रकबा 4.000 हे.	शासकीय
25	जगदीश गुर्जर निवासी-जरकियाखेडी, तह.व्यावरा जिला-राजगढ़	ग्राम पाखरियापुरा, तहसील चांचौडा, सर्वे नं. 27/11(एस) रकबा 2.000 हे.	शासकीय
26.	लोकेन्द्र गुप्ता निवासी-कुंभराज, जिला-गुना	ग्राम खेजडारामा, तहसील कुंभराज,	शासकीय

		सर्वे नं. 743/1/7/1(एस) रकबा 2.000 है.	
27.	रामजीलाल धाकड निवासी- गुना	ग्राम-रानीगंज तहसील-गुना, सर्वे नं. 112/4(एस) रकबा 4.000 है.	शासकीय
28.	हरिसिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम-पिपरौदाखुर्द, तहसील-गुना, सर्वे नं. 61(एस) रकबा 2.000 है.	शासकीय
29.	सुनील सिंह भदौरिया निवासी-दुर्गा कालोनी, गुना	ग्राम-उमरी, तहसील-गुना, सर्वे नं. 105/1/1 रकबा 3.000 है.	शासकीय
30.	राजेश शर्मा निवासी-कृष्ण बिहार, ज्वालियर	ग्राम-मृढरामाता, तहसील-आरोन, सर्वे नं. 3/1/1/1 रकबा 3.000 है.	शासकीय
31.	विनोद कुमार लाहोटी, निवासी- राघौगढ़	ग्राम अल्लीपुरा, तहसील-राघौगढ़, सर्वे नं. 53/27/1, 53/26/3, 53/28 रकबा 2.000 है.	निजी
32.	अविनाश कलावत निवासी-गुलाब गंज, कैन्ट, गुना	ग्राम -रानीगंज, तहसील गुना, सर्वे नं. 112/4, रकबा 3.000 है.	शासकीय
33.	सादिक मोहम्मद निवासी- मक्सूदनगढ़	ग्राम कोलारस तहसील-मक्सूदनगढ़ सर्वे नं. 301/1 रकबा 4.000 है.	शासकीय
34.	मैसर्स व्ही.क्वी.सी.प्रा.लि. राघौगढ़ निवासी-राघौगढ़	ग्राम ढाढोन्या, तहसील-मक्सूदनगढ़, सर्वे नं. 184/1, रकबा 2.750 है.	शासकीय
35.	अनिल नायक पुत्र श्री गिरजाशंकर नायक निवासी-साडा कालोनी, राघौगढ़	ग्राम-चैनपुरा, तहसील-राघौगढ़, सर्वे नं. 84, रकबा 3.000 है.	शासकीय
36.	विनोद नायक पुत्र श्री जी.एस.नायक निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम-लाडपुरा, तहसील-राघौगढ़, सर्वे नं. 32/07, रकबा 4.000 है.	शासकीय
37.	जितेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी गुना	ग्राम-शायमपुर तहसील-बमौरी सर्वे नं. 49/1/1 रकबा 2.000 है.	शासकीय
38.	ईवान्शु अग्रवाल निवासी-डोवरा	ग्राम-डोवरा तहसील बमौरी सर्वे नं. 16/2 रकबा 2.000 है.	निजी



 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCA)
 Parivaran Parish
 E-5, Aerial Colony, Bhopal (M.P.)

18- गुना जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृतिक शीर्ष एवं ढालन का स्वरूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the Guna District)




भू-आकृतिक रूप से जिले का अधिकांश भू-भाग ज्वालामुखी उत्पत्ति के Low Level Plateaus, व Plains तथा नदियों द्वारा विकसित Terrace/Rocky Benches, Flood Plains को दर्शाता है। अन्य भू-आकृतिक इकाइयों के रूप में पूर्वोत्तर भाग में प्रोटिरोजोइक शैल-प्रकारों से विकसित संरचनात्मक पठार व मैदान तथा पूर्वी भाग में प्रोटेरोजोइक काल के Sedimentary Rocks से विकसित संरचनात्मक सोपान व Pediments-Pediplains विद्यमान हैं।

जिले का भू-भाग वृहद गंगा द्रोणी के अंतर्गत चम्बल, सिन्ध व बेतवा उप-द्रोणीयों का भाग है। पार्वती व सिन्ध तथा इनकी सहायक नदियों जिले के पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी भाग में बहती हैं।




जिले में अधिकतम व न्यूनतम ऊँचाई के स्थान समुद्र तल से 553.70 मी. व 303.60 मी. ऊपर क्रमशः दक्षिणी भाग में आरोन के 09 कि.मी. दक्षिण में तथा उत्तर पश्चिमी भाग में पाडोन के 21 कि.मी. द. द. प. में रिथत है।

DIGITAL ELEVATION MODEL MAP OF DISTRICT GUNA



Topography का Digital Representation ही Digital Elevation Model (DEM) कहलाता है। जिला गुना का Lowest Elevation 303.60 Meter तथा Highest Elevation 553.70 Meter है।



Slope, Landscape Features के मौलिक रूप को दर्शाता है, जो कि इन Features की Hydrological Engineering व Environmental Aspects के लिए महत्वपूर्ण है। जिला गुना का Slope Classification निम्नानुसार है-

Classification of Slope Percentage

Slope (%)	Slope Classification
0-3	Flat or Almost Flat
3-5	Gently Sloping
5-15	Sloping
15-30	Moderately Steep
More than 30	Very Steep

19- पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शौर, मिट्टी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)

खनन के पर्यावरणीय प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खनन प्रथाओं के माध्यम से स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो सकते हैं। खनन प्रक्रियाओं से निकलने वाले रसायनों के प्रभाव से जैव विविधता का नुकसान या मिट्टी, भूजल और सतही जल का दूषित होना होता है।

- 1. वायु-** खनन गतिविधियों जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपर की मिट्टी को हटाना और मुरम की सामग्री के निष्कर्षण से हवा में बड़ी मात्रा में धूल निकल सकती है। इसी तरह बड़े वाहनों में बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के खनिजों की आवाजाही वायु प्रदूषण और श्वसन समस्याओं का कारण बन सकती है।
- 2. पानी -** खनन का आसपास की सतह और भूजल पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
- 3. शौर -** खनन गतिविधियाँ जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपरी मिट्टी को हटाना और भारी मशीनरी और क्रशिंग प्लांट के माध्यम से मुरम की सामग्री का निष्कर्षण आसपास के क्षेत्रों में भारी शौर पैदा करता है।
- 4. मिट्टी -** फ्लैगस्टोन और बोल्डर खानों के मामले में खनन गतिविधियों के कारण चट्टानों की आवाजाही और अधिक बोझ की आवाजाही। मिट्टी पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। यह मिट्टी के क्षरण और भूमि के क्षरण का कारण बनता है।
- 5. वनस्पति और जीव -** खनन गतिविधियाँ स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कभी-कभी खनिज निकालने से पहले बड़ी संख्या में पौधे और पेड़ काट दिए जाते हैं। इसी प्रकार नदियों में भारी बालू खनन से जलीय जीवन के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होता है।
- 6. भूमि उपयोग, कृषि और वन -** एक खनन गतिविधि भूमि उपयोग पैटर्न क्षेत्र उदाहरण के लिए पहाड़ और पहाड़ियों से खनिजों का निष्कर्षण पहाड़ों की सुंदरता को कम कर सकती है, कृषि भूमि निकटवर्ती क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण बंजर भूमि में बदल

जाती है। वन क्षेत्रों में खनन गतिविधि के कारण जंगल का बड़ा क्षेत्र कट जाता है जिससे क्षेत्र में वनों की कठाई होती है।

20- पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)

जिला गुना न्यूनतम पर्यावरण संघात वाला जिला है, उक्त संघात के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पट्टाधारियों व उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों एवं आम नागरिकों में पर्यावरण संचेतना एवं जागरूकता लाये जाने से संबंधित उपाय किये जाकर पर्यावरण संघात को नगण्य किया जा सकता है।

इस के अतिरिक्त अन्य उपाय-

- खनन गतिविधिया मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में बनाये गये इन नियम अधिनियम के अंतर्गत किया जाना चाहिए जो कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996, म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार) नियम 2019, सरटेनेबल रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश 2020, के मुद्दे यह सुनिश्चित करते हैं कि खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति बनाए रखे।
- पर्यावरण पर खनन गतिविधि के प्रभाव को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1974 और वायु जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1981 के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई शर्तों और शर्तों का पालन करके किसी भी पट्टेदार द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित विशिष्ट और मानक स्थिति का पालन कर के।
- खनन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि खनन गतिविधि का लैकल पर्यावरण पर प्रभाव कम हो सके।
- उन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण जहां क्रशिंग इकाइयां स्थापित हैं, पट्टा क्षेत्र और पहुंच सड़कों पर पानी के लगातार छिड़काव से कम किया जा सकता है। स्टोन क्रशिंग यूनिट में वाटर स्प्रिंकलर, विंड ब्रेकिंग वॉल, जीआई शीट-शेड लगाए जाने चाहिए।

- खदान क्षेत्रों में और उसके आसपास सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न कचरे को उचित रूप से डंप किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना चाहिए।
- वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को श्वसन यंत्र, एन-95 मारक जैसे सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को इयर प्लग प्रदान किया जाना चाहिए।
- इस बात की बार-बार निगरानी की जानी चाहिए कि नदी के तल में रेत के खनन से नदी के पानी के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बदलाव नहीं आता है। यह जल संसाधन को बनाए रखने में मदद करता है।
- सभी मशीनरी सिस्टम उपकरण स्थापित एक अच्छी काम करने की स्थिति में होना चाहिए और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।
- खदान पट्टा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण में सुधार करने के लिए 10 मीटर की हरित पट्टी विकसित की जानी चाहिए।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुदान और अनुमतियों की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए।

21- खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)

यदि उचित उपाय नहीं किए जाते हैं, तो खनन कार्यों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खनन संचालन के परिणाम स्वरूप मूल भूमि प्रोफ़ाइल स्पष्ट रूप से बदल जाएगी और खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का परिमाण और महत्व उपलब्ध खनिजों के प्रकार, खनन और प्रसंरक्षण की विधि आदि पर निर्भर करता है।

खनन के बाद खनन की गई, भूमि का पुनर्वाया सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पुनर्ग्रहण और भूमि के लिए खनन गतिविधि, खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए ताकि खनन सुधार किया जा सके।

अधिकांश खदानों में लीज की अवधि समाप्त होने के बाद, खदानों का पुनर्गृहण अपरिशिष्ट चब्बान या ओवर बर्डन को खदान में वापस भरकर किया जा सकता है, हालांकि खदान सुधार योजना में निम्नलिखित चरण होने चाहिए-

1. ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन का भंडारण और संरक्षण।
2. खनन के दौरान और उसके अंत में, खनन से प्रभावित भूमि के पुनर्गृहण का प्रस्ताव।
3. डम्पो का स्थिरीकरण।
4. खनिज पदार्थ के ढेर के लिए डंपिंग ग्राउंड तैयार करना।

22- जिले में स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)

जिला गुना में संचालित अनुदत्त पट्टों में पौधारोपण समग्र रूप से सुनिश्चित किया गया है। हरित पट्टी विकास किये जाने सम्बन्ध में उपागम प्राथमिकता स्तर पर प्रक्रियारत हैं, जिसके अग्रेतर वर्षा अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है।

वृक्ष, वायु प्रदूषकों का पता लगाने और उनकी निगरानी के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं, और इन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। वृक्षारोपण करके हम जैव-सौंदर्य शास्त्र के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका शमन भी कर सकते हैं। प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषित कणों को रोकने वाले पेड़, और प्रदूषण को सहन करने वाले पेड़ और उनके प्रकारों पर उचित योजना और वृक्षारोपण निर्भर करता है।

पेड़ पौधे सदैव हरे भरे, पड़े पत्ते वाले, साथ ही खुरदुरे तने वाले और पर्यावरण के साथ पारिस्थितिक तंत्र के साथ सक्षम होना चाहिए। ऐसे पेड़ लगाये जाना चाहिए जो कि कम पानी का उपयोग करते हो, कम देखभाल वाले, प्रदूषण को शोसित करने में सक्षम, प्रदूषण राकने वाले, पर्यावरण के अनुकूल, तेजी से बढ़ने वाले, और तेज हवा में न टूटने वाले होने चाहिए। पेड़ों की प्रजातिया मिट्टी, स्थालाकृति, जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए।

कम से कम दो पंक्तियों का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण के स्तर हो ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके।


वृक्षारोपण और हरित पट्टी विकास के लिये वृक्षों व प्रजातियों की जानकारी-

S. No.	Botanical Name	Family	Common Name
1.	Tamarindus indica (Linn)	Caesalpiniaceae	Imli
2.	Anogeissus pendula	Combrataceae	Kardhai
3.	siras Albizia lebbek	Leguminosae (Mimoseae)	Kala
4.	Azadirachta indica	Meliaceae	Neem
5.	Butea monosperma	Leguminosea (papilionaceae)	Palas
6.	Ficus infectoria	Moraceae	Pakar
7.	Stereospermum suaveolens	Bignoniaceae	Padar
8.	Salmalia malabarica, Bombaxcieba	Malvaceae	Semal
9.	Madhuca indica	Sapotaceae	Mahua
10.	Delbergia latifolia, Roxb	Leguminosae (Papilionaceae)	Shisham
11.	Lannea coromandalica	Anacardiaceac	Kankar
12.	Diospyros melanoxeon	Ebenaceae	Tendu
13.	Anogeissus latifolia	Combretaceae	Dhavda
14.	Zizyphus jujube	Rhamnaceae	Ber
15.	Cassia fistula	Leguminosae (Caesalpiniaceae)	Amaltash
16.	Syzygium cuimini	Myrataceae	Jamun
17.	Acacia karoo	Fabaceae	Keekar
18.	Buchanania lanzan (spreg)	Anacardiaceae	Achar
19.	Mangifera indica (Linn)	Anacardiaceae	Aam
20.	Emblica officinalis	Euphorbiaceae	Awla



Shivam
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.

(EPCA)
Paryavaran Parishar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)





State Level Environmental Impact
Assessment Authority, M.P.

(SLEIA)
Parvavaran Parivar
E-6, Arera Colony, Bhopal (M.P.)





A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rajesh".



State Level Survey & Land Record
Assessment & Mapping Dept.
D.S.L.S.

Patancheru Parivar
E.S. 2000 - 2001 - 2002 - 2003



State Level
Assessment
(E-3)

Parivartan Parivar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



प्रस्तावित परियोजना, बैरियर जोन के बिना मायनिंग वाले क्षेत्रों में, एपरोच रोड, नदी किनारों के आसपास वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

[Signature]

Paryavaran Parishad
E-5, Agra Road, Bhopal (M.P.)

23- जिले में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)

ओपन कार्ट विधि में धूल मुख्य प्रदूषक है। खनिज साइट पर, उत्थनन और लोडिंग गतिविधि के दौरान, उत्पन्न धूल श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ओपन कार्ट माइनिंग के कारण उत्पन्न व्यावसायिक खतरे मुख्य रूप से भौतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं।

संभावित शारीरिक खतरे, इस प्रकार हैं -

खनन कार्यों के कारण होने वाले शारीरिक जोखिम में निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी खतरों की पहचान की गई -

प्रकाश - श्रमिकों को खराब रोशनी या अत्यधिक चमक के जोखिम से अवगत कराया जा सकता है।

प्रभाव - आंखों में खिंचाव, सिरदर्द, आंखों में दर्द और लैक्रिमेशन, कार्निया के आसपास जमाव और आंखों की थकान। वर्तमान समय में, खनन गतिविधि केवल दिन के समय की जाती है।

गर्मी और आर्द्धता - सबसे आम शारीरिक खतरा गर्मी है। गर्मी का सीधा असर शरीर पर पड़ता है, शरीर में जलन, थकावट, हीट स्ट्रोक और हीट क्रैम्प्स शामिल हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं- दक्षता में कमी, थकान में वृद्धि और दुर्घटना दर में वृद्धि। गर्मी में, तापमान और हवा के तापमान में वृद्धि होने पर गर्म और आर्द्ध रिथिति का सामना करना पड़ता है। नदी तल खनन क्षेत्र में गर्मी में तापमान 46 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक तक हो सकता है।

आंखों में जलन - गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण उड़ने वाली धूल-मिही से आँखों में खुजली और आँखों में पानी आने की समस्या हो सकती है।

श्वसन संबंधी समस्याएं - हवा में बड़ी मात्रा में धूल स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकती है। जिस से श्वसन संबंधी विकार जैसे- अस्थमा व फेफड़ों और ब्रोन्कियल मार्ग में जलन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

शोर प्रेरित बहरापन - खदान में धवनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत मशीनरी है, जिस से बहरेपन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

24- जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Management)

खनन कार्यों में संभावित जोखिमों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

जोखिम पहचान और जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, भंडारण और संचालन, मानवीय त्रुटियों, बिजली की विफलता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना के संचालन से जुड़े विभिन्न प्रकार के खतरों के बारे में चर्चा करती है। यह पहचाने गए संभावित खतरे के लिए विभिन्न दुर्घटना परिदृश्यों की गणना की आवृत्तियों को भी प्रस्तुत करता है। इनमें विनाशकारी घटनाएं या पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव और तकनीकी कारणों से उत्पन्न खतरे शामिल हैं। सामग्री के परिवहन के दौरान, ईंधन/हाइड्रोलिक तरल पदार्थ के प्रज्वलन से बड़े वाहनों में आग लग जाती है।

संरचनात्मक विफलता :-

खदान में डंप, बैंच/पिट ढलानों की अस्थिरता, जो छोट और मृत्यु का कारण बन सकती है।

जोखिम के लिए परिकल्पित परिदृश्य :-

कार्य का ज्ञान - जोखिम मूल्यांकन कार्य के सभी पहलुओं की पूरी समझ पर निर्भर करता है। किसी विशेष कार्य के संबंध में जोखिम मूल्यांकन करने में, मूल्यांकन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण की समीक्षा शामिल होनी चाहिए।

व्यक्तिगत क्षमता - किसी भी जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कार्य में शामिल कर्मियों का ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण समीक्षा शामिल होना चाहिए। एक जानकार, अनुभवी अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति दुर्घटनाओं के कम जोखिम पर होगा।

समन्वय - यह आवश्यक है कि समन्वयक, यह सुनिश्चित करे कि कार्य में लगे सभी लोग सक्षम हों और दूसरों की भूमिका और एक-दूसरे के प्रति उनकी जिम्मेदारी को समझें।

खतरों की पहचान :-

तकनीकी खतरे - इस दस्तावेज़ के प्रयोजनों के लिए, खासगत संबंधी खतरों की व्याख्या हानिकारक धूल, गैसों और शोर के रूप में की जानी चाहिए, जो सतही खनन कार्यों के दौरान उत्सर्जित होती है। खनन कार्यों में शामिल अन्य खतरनाक कार्य जो श्रमिकों के खासगत और कल्याण से संबंधित हैं।

शोर - खदान के वातावरण में शोर को एक सामान्य व्यावसायिक खतरा माना जाता है। लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से श्रवण तंत्रिकाओं और इसके संवेदी घटकों (शोर प्रेरित बहरापन) को स्थायी नुकसान हो सकता है। शोर प्रेरित श्रवण हानि (एनआईएचएल) से बचने के लिए, इन मशीनों के केबिनों को धनिरोधी बनाया जाए। साथ ही, उच्च धनि उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में काम करने वाले आपरेटरों और अन्य श्रमिकों को उनकी सुरक्षा के लिए इयर प्लग/इयर मफ प्रदान किए जाए। किसी भी कर्मचारी को उचित सुरक्षा उपकरण पहने बिना, उच्च शोर उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए।

सतह की आग - रेड आँकर डिपाजिट में कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते हैं। हालांकि कोयला खदानों में लगे डंपरों में आग लग सकती है। अग्निरोधक पात्र को छोड़कर किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जाए। चार माह से अधिक समय तक रखे कोयले में खत: ज्वलन किया होने लगती है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ पर या उसके पास कोई प्रकाश या दीपक नहीं रखेगा और न ही उसे फेंकने देगा। एमएमआर 1961 के विनियम 121 के अनुसार खदान के हर प्रवेश द्वार पर या हर जगह जहां ज्वलनशील सामग्री जमा है, ऐत या ज्वलनशील धूल या पर्याप्त पोर्टेबल अग्निशामक की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाए।

लोडिंग - खनिज का समस्त लदान, लोडर/उत्पन्न के द्वारा किया जायेगा। हालांकि, श्रमिकों को लोडिंग कार्यों से दूर रखने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्तियों पर सामग्री गिरने से बचा जा सके। इसके अलावा, लोडिंग मशीन आपरेटर को ठीक से मार्गदर्शन करने के लिए साइट पर्यवेक्षक द्वारा लोडिंग संचालन की निगरानी की जाती है।

गह्ने ढान विफलता - बेंच की विफलता से बचने के लिए खान बेंचों के किनारों को उपयुक्त रूप से ढाला जाएगा। बेंच की ऊँचाई से अधिक चौड़ाई के साथ 6 मीटर ऊँचाई रखने की योजना है। बेंच के किनारों और किनारों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ताकि विफलता, दरारों के विकास आदि के किसी भी लक्षण के लिए निरीक्षण किया जा सके। किसी भी बेंच या गह्ने ढान की विफलता से बचने के लिए उचित एहतियाती उपाय अपनाए जाएंगे।

भारी वाहन - खनिज और ओवरबर्डन के लदान और परिवहन में उचित सावधानी बरती जाएगी। ब्रेक फेल होने की संभावना को कम करने के लिए अच्छा रखरखाव और नियमित परीक्षण आवश्यक है। एक क्षेत्र को एक परीक्षण क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां वाहन ब्रेकिंग सिस्टम की प्रभावशीलता पर नियमित परीक्षण किए जाते हैं।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीई) - व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है।

यातायात - चूंकि उपयोग किए जाने वाले वाहन संख्या में बहुत कम हैं, इसलिए यातायात की आवाजाही के कारण दुर्घटनाओं का कोई खतरा नहीं है। तथापि, दुलाई सड़कों का उचित रखरखाव किया जाएगा और दुर्घटनाओं से बचने के लिए खनिज परिवहन के लिए चलने वाले वाहनों पर गति सीमा निहित होगी।

आपदा प्रबंधन योजना - पूर्ण खनन कार्य प्रबंधन नियंत्रण एवं योग्य खान प्रबंधक के निर्देशन में किया जायेगा। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद ने खान प्रबंधन द्वारा पालन किए जाने वाले कई स्थायी आदेश, और परिपत्र जारी किए हैं। खदान के गह्ने में सतही जल के किसी भी प्रवाह से बचने के लिए नालियों और मिट्टी के बांधों की जाँच और नियमित रखरखाव। खनन पिट से पानी निकालने के लिए पम्पों की व्यवस्था। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

खान कार्यालय परिसर एवं खनन क्षेत्र में अग्निशमन एवं प्राथमिक उपचार का प्रावधान रखा जायेगा। सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हेलमेट, काले चश्मे आदि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे और उनके उपयोग की नियमित जांच की जाएगी। स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खदान में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण। चेहरों की नियमित सफाई। निर्माण के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी खनन उपकरणों का

नियमित रखरखाव और परीक्षण। ढुलाई सड़कों पर धूल का दमन। प्रतियोगिताओं, पोस्टरों और इसी तरह के अन्य अभियान के माध्यम से सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

संचार प्रणाली - विभाग प्रमुख और उनकी लाइन आफ कमांड के लिए एक आंतरिक संचार प्रणाली को बनाए रखा जाना चाहिए। बचाव रेशन, पुलिस रेशन, अग्निशमन सेवा रेशन, स्थानीय अस्पताल, बिजली आपूर्ति एजेंसी और स्थायी सलाहकार समिति के सदस्यों के टेलीफोन नंबर और पते होना एक और आवश्यक पहलू है।

सलाहकार समिति - खान प्रबंधक की अध्यक्षता में एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।

प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं - खदान प्रबंधन के पास आपात स्थिति में उपयोग के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा है। सभी हताहतों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा।

जनसंपर्क समूह के कार्य - सरकारी अधिकारियों और अन्य समाज सेवा संगठन के साथ सौहार्द पूर्ण संबंध बनाए रखा जाएगा। किसी भी आपदा से उत्पन्न दहशत, तनाव, भावनाओं, शिकायतों और आशंकाओं की स्थिति को सुधारने के लिए खनिकों के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क करना।

अस्थायी बंद के दौरान देखभाल और रखरखाव - खदान को अस्थायी रूप से बंद करने के दौरान किसी भी कारण से, नोटिस (एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 एमएमआर, 1961 के नियम 6 के अनुसार) आईबीएम और खान सुरक्षा अधिकारियों को भेजा जाएगा। सूचना के साथ एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 के अनुसार प्रपत्र संख्या डी-1 संलग्न किया जाएगा। देखभाल और रखरखाव के संबंध में सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।

निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे।



State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SLEIA)
Parvati Hill Parivar
F. 5, A-1, Bhopal (M.P.)

गह्रों का संरक्षण - डीजीएमएस के परिपत्र के अनुसार पहुँच के खदान वाले हिस्से को स्थानीय भाषा में खतरे को प्रदर्शित करने वाले चेतावनी बोर्ड के साथ खुले गह्रों के चारों ओर फैसिंग द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

क्षेत्र की सुरक्षा - स्थानीय भाषा में बिना अनुमति के परिसर में 'प्रवेश सख्त वर्जित है' शीर्षक के साथ प्रवेश पर एक बोर्ड प्रदर्शित करके क्षेत्र की रक्षा की जाएगी।

रखरखाव और निगरानी - सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह क्षेत्र की निगरानी की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो आवश्यकतानुसार रखरखाव किया जाएगा। सभी खनन मशीनरी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किए गए वृक्षारोपण की देखभाल और रखरखाव नियमित आधार पर किया जाएगा। खदान के किसी भी अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति में सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा।

आपात योजना - खदान में कहीं भी कुछ भी गंभीर होने का पता चलने पर, फोरमैन या साथी तुरंत निकटतम खनन अधिकारी और प्रबंधक को घूचित करेंगे। आपात स्थिति की सूचना मिलने पर शिफ्ट प्रभारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सामग्री और परिवहन व्यवस्था को तैयार रखा जाए। प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं को तैयार रखा जाना चाहिए। डीजीएमएस द्वारा निर्धारित विनियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

काम करने वाले क्षेत्र का वैचारिक पुनर्वास - डॉपिंग सामग्री के साथ अधिकतम संभव गहराई तक पहुंचने के बाद यानी सतह से अनुमेय गहराई और शेष क्षेत्र को जल भंडारण के रूप में विकसित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए अंतिम गह्रों के चारों ओर पर्याप्त रूप से मोटी बांध की दीवार का निर्माण किया जाएगा। बांध के चारों ओर पौधरोपण किया जाएगा। इस प्रकार, संकल्पनात्मक स्तर पर उत्पन्न सभी कचरे को तैयार किए गए गह्रे में पूरी तरह से वापस भर दिया जाएगा।

आपदा प्रबंधन योजना की रूपरेखा - आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य खनन गतिविधि के दौरान अप्रत्याशित, अचानक हुई घटना के कारण खनन कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए सामान्य स्थिति बहाल करना है, जिससे श्रमिकों या किसी मशीनरी या

पर्यावरण को गंभीर खतरा हो सकता है। इनने परियोजना में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं।

- खदान में काम करने वालों को दुर्घटना से बचाने के लिए।
- इनने कार्यों के दौरान चोट की घटनाओं और गंभीरता को रोकने या कम करने के लिए।
- गंभीर दुर्घटना की स्थिति में तुरंत और पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देना।

किसी भी प्रकार की आपदा चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, जीवन की अत्यधिक हानि का कारण बनती है, और संपत्ति और आसपास के वातावरण को भी इस हद तक नुकसान पहुंचाती है कि, समाज के लिए उपलब्ध सामान्य सामाजिक और आर्थिक तंत्र गड़बड़ा जाता है। भारत सरकार ने देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर आपदाओं के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय, व्यापक और निरंतर दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचाना और आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम 2005 के साथ सामने आया।

मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) का यह भी मानना है कि, हर जिले में एक आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता है जो राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए अपनी दृष्टि और रणनीति को स्पष्ट करे। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमपीएसडीएमए) राज्य में आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके अलावा, डीएम अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और यह जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) की तैयारी, कामकाज और समीक्षा के लिए नोडल एजेंसी होगी। जिला आपदा प्रबंधन योजना का दायरा बहुत व्यापक है, और यह आपदाओं के सभी चरणों (पहले, दौरान, बाद और गैर आपदा समय) में लागू होता है। डीडीएमपी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिकारियों की मदद कर सकते हैं और आपात स्थिति में सीधे अधीनस्थों को मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं।

यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे जिला आपदा प्रबंधन योजना और संबद्ध कार्यों की समीक्षा सहित आपदा प्रबंधन से संबंधित जिला

और उप जिला स्तरीय संस्थागत गतिविधियों को देखें। यह सभी हितधारकों के लिए और उनकी तैयारी के स्तर का अध्ययन करने के लिए एक चेकलिस्ट भी सुनिश्चित करता है।

योजना का उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक प्रणालियों, संरचनाओं, कार्यक्रमों, संसाधनों, क्षमताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थापित करना और संबंधित जिले में आपदाओं और आपदाओं के खतरों से बचने की तैयारी करना। आपदा चरण के दौरान गतिविधियों में त्वरित प्रतिक्रिया, राहत, खोज और बचाव को जुटाना, क्षति का आकलन शामिल है। आपदा चरण के बाद गतिविधियों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।

३५


 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (SLEIA)
 Receipt No. 12345, Parivaraj, Bhopal (M.P.)
 Date: 15/06/2024